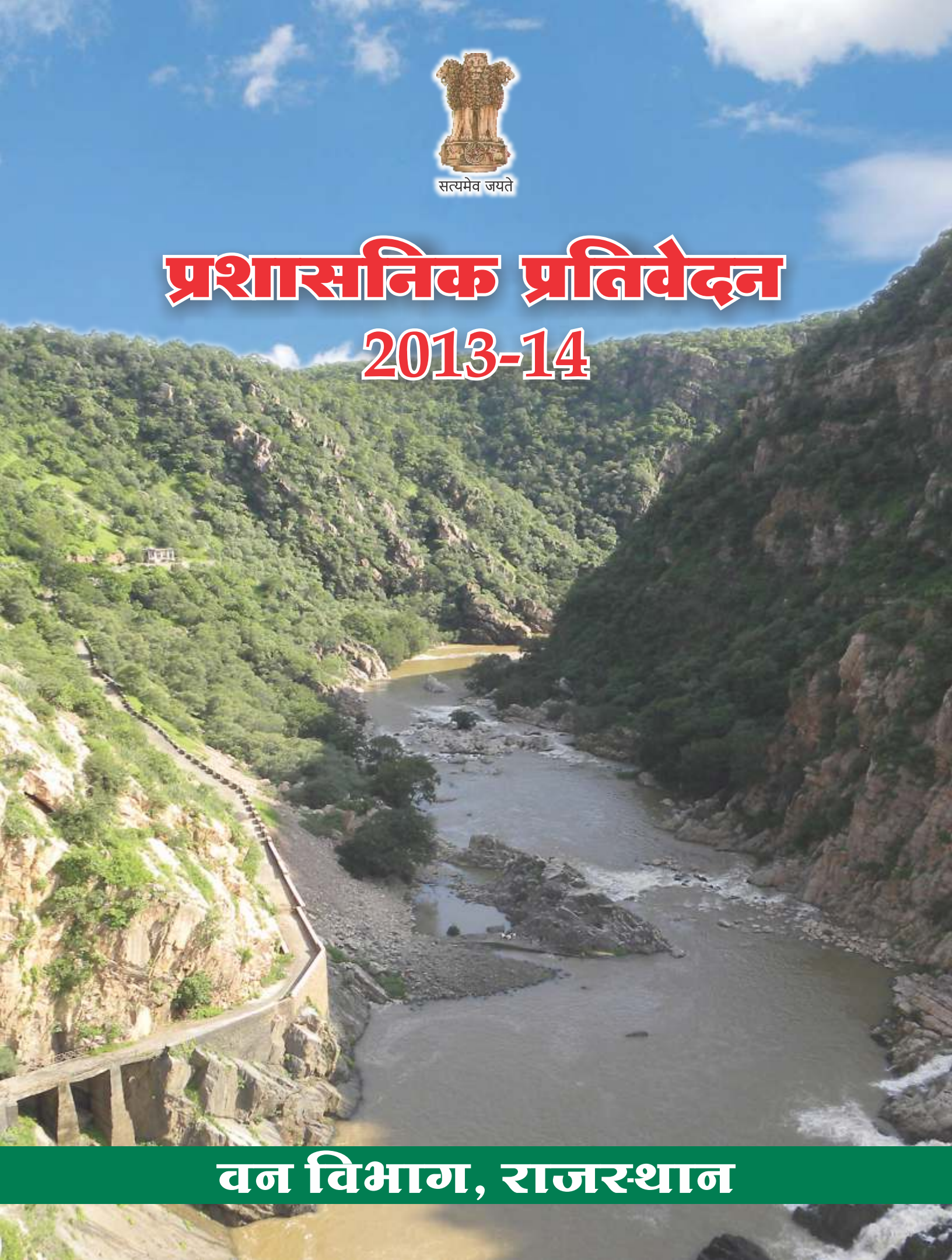

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2013-14

वन विभाग, राजस्थान

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का अवलोकन करती हुई माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे

वन विहार अभयारण्य, धौलपुर का अवलोकन करती हुई माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2013-14

वन विभाग, राजस्थान

http://www.rajforest.nic.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	प्राक्कथन	iii
●	वन विभाग : एक नजर में	iv
●	विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	v-vi
●	महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की क्रियान्विति	vii
●	वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति	viii-ix
●	सुराज संकल्प घोषणा पत्र	x
●	60 दिवसीय कार्य योजना	xi

अध्याय

1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1–4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5–14
3.	वन सुरक्षा	15–20
4.	वानिकी विकास	21–39
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	40–42
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	43–46
7.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	47–53
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	54–60
9.	वन अनुसंधान	61–65
10.	विभागीय कार्य	66–68
11.	तेन्दू पत्ता योजना	69–70
12.	सूचना प्रौद्योगिकी	71–74
13.	मानव संसाधन विकास	75–77
14.	सम्मान एवं पुरुस्कार	78–79
15.	संचार एवं प्रसार	80–82
16.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	83–87
	परिशिष्ट	88–100

प्राक्कथन

वन संसाधनों का पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सुरक्षा से प्रदेश और उसके लोगों की बेहतरी (Wellbeing) का गहरा सम्बन्ध है साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्परिणामों को कुछ हद तक नियंत्रित करने में वनों की एक विशेष भूमिका है। राजस्थान राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का 9.57 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि है। भारत सरकार के वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट वर्ष 2011 में प्रकाशित की गई है उसमें राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र 7.12 प्रतिशत ही आंका गया है। राजस्थान राज्य की वन नीति, 2010 के अनुसार राज्य में 20 प्रतिशत वृक्षाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए।

राजस्थान की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने हेतु राज्य के 15 जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, फेज-2 तथा अन्य 17 जिलों में नाबार्ड वित्त पोषित योजना से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। आगामी वर्षों में ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत भी भारत सरकार से इस कार्य हेतु और अधिक राशि उपलब्ध होगी।

वनों के विकास एवं उनके प्रबन्धन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अब तक 5538 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है तथा अधिकांश योजनाओं में वृक्षारोपण कार्य समितियों के माध्यम से सम्पादित कराए जा रहे हैं। समितियों के सदस्यों की आय में वृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर वन आधारित आय सृजन गतिविधियां जैसे ऐलोवेरा ज्यूस, अगरबत्ती, फर्नीचर निर्माण आदि संचालित की जा रही है।

वनों की सुरक्षा हेतु पिछले वर्ष वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की गई तथा इस वर्ष 194 ड्राइवर व 49 सर्वेयरों की नियुक्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त 144 संवेदनशील रेंजों में वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारियों को गश्त हेतु जीप उपलब्ध करवाई गई है।

प्रदेश में राज्य पक्षी गोडावण के लिए एक नई परियोजना 'प्रोजेक्ट बस्टर्ड' इसी वर्ष में आरम्भ की गई है। रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में गांवों के विस्थापन के कार्य को गति दी जा रही है तथा इन टाइगर प्रोजेक्ट के समीपवर्ती गांवों के निवासियों को अनुदानित दर पर 10 हजार गैस कनेक्शन इस वर्ष में उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

विभाग अपने वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण एवं प्रगति प्रति वर्ष सभी की जानकारी हेतु प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का चालू वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके हाथों में है। इस प्रतिवेदन को सचित्र बनाने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों यथा परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधिता, परियोजना-2, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई), मुख्य वन संरक्षक उदयपुर, बीकानेर एवं वनवर्धन, जयपुर, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर तथा कतिपय अधिकारियों यथा भारतीय वन सेवा के डॉ. एस.एस. चौधरी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल, जयपुर, मुख्य वन संरक्षक जी.एस. भारद्वाज, उप वन संरक्षक के.आर. काला, राजेश जैन एवं ओ.पी. शर्मा; राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक गिरीश पुरोहित, आर.के. जैन, महेश चन्द गुप्ता, मनफूल सिंह तथा पी.सी. जैन; सहायक वन संरक्षक डॉ. सतीश कुमार शर्मा एवं जगदीश गुप्ता; क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुराग भटनागर; वनपाल महेन्द्र सक्सेना; स्वतंत्र छायाकार ए.एच. जैदी (कोटा) एवं डॉ. दिलीप अरोड़ा (सुमेरपुर, पाली), जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर के आलोक शर्मा ने छाया चित्र उपलब्ध कराए एतदर्थ ये सभी साधुवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है प्रतिवेदन सभी सम्बन्धित के लिए उपयोगी रहेगा।

(राहुल कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स)
राजस्थान, जयपुर

वन विभाग : एक नजर में

(1–1–2014 की सूचनानुसार)

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,744.487988 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,439.263263 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	18,263.022895 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,042.201830 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.57
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला	:	करौली (32.77%)
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला	:	चूरू (0.43%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2011)	:	16,087 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.70%)
वृक्षावरण	:	8,272 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42%)
वन एवं वृक्षावरण	:	24,359 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.12%)
राज्य पशु	:	चिंकारा
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्य जीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	2 (रणथम्भौर एवं सरिस्का)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	10
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्य जीव मण्डल	:	16
विभागीय कार्य मण्डल	:	5
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू–संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	7
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,158
तकनीकी संवर्ग	:	675
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1002
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
वर्क चार्ज कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	6,663
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	5,538
ईको डवलपमेंट कमेटियां	:	270
स्वयं सहायता समूह	:	2,709
वनों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान	:	₹ 1,71,465.00 लाख

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

- प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के वन्य जीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
- मरु प्रसार नियंत्रण
- जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
- वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
- सतत वन प्रबंधन
- पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
- मृदा एवं जल संरक्षण
- वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- समाज की इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'कन्जर्वेशन रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक एवं वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
- वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में सघन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

- इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–
- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामिलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को 'कम्यूनिटी रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल।

रणनीति (Strategy) :

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- ''प्रदूषक चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा तेरहवीं विधानसभा के दशम् सत्र दिनांक 21.02.2013 को दिये गये अभिभाषण की क्रियान्विति

पैरा सं.	विभाग से सम्बन्धित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
70.	राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए 'हरित राजस्थान योजना' शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक 39 हजार 871 हैक्टेयर में पौधारोपण व बीजारोपण किया गया, जिसमें 146 लाख 43 हजार पौधें रोपित किये गये हैं।	वित्तीय वर्ष 2012–13 में 41 हजार 182 हैक्टेयर में पौधारोपण व बीजारोपण किया गया, जिसमें 159 लाख 43 हजार पौधे रोपित किये गये।
71.	वन्य जीवों की संख्या एवं वन सम्पदा के संरक्षण एवं प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए 508.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय हेतु राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया तथा मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा गुढ़ा बिश्नोई क्षेत्र (जोधपुर), गोगेलाव एवं रोटू (नागौर), बीड़ (झुंझुनूं), शाकम्भरी (सीकर एवं झुंझुनूं), उम्मेदगंज (कोटा) को कन्जरवेशन रिजर्व घोषित कराया गया है।	कार्यवाही शेष नहीं

मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विहंगम दृश्य

वर्ष 2013–14 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति माह दिसम्बर, 2013 तक

पैरा संख्या	घोषणा	क्रियान्विति की नवीनतम स्थिति	क्रियान्वित
118.	जोधपुर शहर में कायलाना झील के पास स्थित वन खण्ड, बड़ा भाकर क्षेत्र को औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास के उद्देश्य से 'कायलाना बायोडाइवर्सिटी (Biodiversity) पार्क' के रूप में विकसित किया जावेगा।	जोधपुर शहर में कायलाना झील के पास स्थित वन खण्ड, बड़ा भाकर क्षेत्र को औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास के उद्देश्य से 'कायलाना बायोडाइवर्सिटी (Biodiversity) पार्क' विकसित करने हेतु दिनांक 19.06.2013 को राशि ₹ 200 लाख का बजट स्वीकृत हो चुका है। बजट का आवंटन कर दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी (Biodiversity) पार्क विकसित करने हेतु डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
119.	टाईगर रिजर्व क्षेत्र में स्थानीय लोगों के ईंधन सम्बन्धी दबाव को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 के दौरान सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना के समीपस्थ क्षेत्रों में 20 हजार गैस कनेक्शन रियायती दरों पर दिये जावेंगे।	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु पूर्ण आवश्यक राशि ₹ 360.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया जा चुका है। (1) सरिस्का टाईगर रिजर्व में 10,000 गैस कनेक्शन दिये जाने की ग्रामवार सूची तैयार कर गैस एजेंसियों को प्रेषित की जा चुकी है। अब तक 7128 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। (2) रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 10,000 गैस कनेक्शन दिये जाने की ग्रामवार सूची तैयार कर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर एवं करौली को प्रेषित की जा चुकी है। अब तक 4173 गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
120.	राज्य में विभिन्न स्थलों पर स्थानीय एवं माईग्रेटरी पक्षी बहुतायत में पाये जाते हैं। इन पक्षियों के चोटग्रस्त होने पर उपचार हेतु भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क, जोधपुर के खींचन, चूरू के तालछापर तथा पाली एवं जयपुर में बर्ड रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जावेंगे।	बर्ड रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि ₹ 25.00 लाख का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। बर्ड रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु स्थल का चयन कर डिजाइन तैयार कर टेंडर प्रक्रिया इत्यादि पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जयपुर, भरतपुर एवं पाली के बर्ड रेस्क्यू सेंटर्स का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। तालछापर (चूरू) में रेस्क्यू सेंटर का कार्य प्रगतिरत है तथा खींचन (जोधपुर) में रेस्क्यू सेंटर हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव जिला कलक्टर जोधपुर के स्तर पर लम्बित है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।

121.	सीकर जिले में जीणमाता के आसपास के वन क्षेत्र को जीणमाता कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र एवं श्रीगंगानगर जिले में घग्घर के आसपास के क्षेत्र को बड़ोपल पक्षी अभयारण्य घोषित किया जावेगा।	• जीणमाता कन्जर्वेशन रिजर्व का प्रस्ताव दिनांक 14.02.2013 को राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव पर राज्य वन्य जीव मण्डल की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.05.13 में अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है। • बड़ोपल पक्षी अभयारण्य के प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्षेत्र की राजस्व भूमि सम्बन्धी वांछित सूचनाओं का राजस्व विभाग से एकत्र कर सीमाओं का निर्धारण कर लिया गया है। हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के जिला कलेक्टर्स की सहमति के लिए प्रस्ताव मय नक्शे व ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर उनको प्रेषित किए जा चुके हैं।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
358	प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में "Center of Excellence for Forests and Wildlife Management" स्थापित किया जावेगा तथा इसका एक उप केन्द्र रणथम्भौर में भी खोला जावेगा।	प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में "Center of Excellence for Forests and Wildlife Management" स्थापित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार से राशि रुपये 540 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बजट का आवंटन कर दिया गया है। "Center of Excellence for Forests and Wildlife Management" स्थापित करने हेतु विस्तृत प्राकलन तैयार करवाये जा रहे हैं। राशि ₹ 300.00 लाख RSRDC के खाते में स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सरकार को लिखा गया है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
359.	साइबेरियन क्रेन, जो कि विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, के संरक्षण हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सेमी कैप्टिव एक्जीबिट सेंटर बनाया जावेगा।	राज्य सरकार से वर्ष 2013–14 के लिए वांछित राशि ₹ 106.00 लाख का बजट स्वीकृत हो गया है। एक्जीबिट सेंटर के लिए साइट का चयन कर लिया गया है एवं राज्य वन्य जीव मण्डल की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2013 में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। सेंटर की स्थापना के लिए भारत सरकार एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये गये हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में इस सेंटर को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर स्थापित करना उचित नहीं मानते हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से बाहर स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में प्रकरण भारत सरकार को भेजकर निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को निर्देशित कर उक्त सेंटर राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करावें।	क्रियान्विति प्रगति पर है।

○○○

60 दिवसीय कार्ययोजना

1. वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास के तहत राशि ₹ 283.42 करोड़ की लागत की वृहद् वृक्षारोपण परियोजना को आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 19 अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत किया जावेगा। इस परियोजना में 43000 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण/विकास प्रस्तावित है।

2. अग्रिम कार्य से श्रम सृजन

वर्ष 2014–15 के वर्षाकाल में वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से 30,000 है. क्षेत्र में अग्रिम कार्य कराए जावेंगे जिससे 32 लाख मानव दिवस श्रम का सृजन होगा।

3. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का क्षमता संवर्द्धन

प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन के माध्यम से प्रदेश में 250 निष्क्रिय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को सक्रिय किया जावेगा।

4. स्वयं सहायता समूहों का गठन/सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में 60 स्वयं सहायता समूहों का गठन/सुदृढ़ीकरण कर आय सृजन गतिविधियों से जोड़ा जावेगा। इस कार्य से लगभग 600 परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

5. एल.पी.जी. कनेक्शन वितरण

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व के समीपस्थ गांवों में टाईगर रिजर्व पर स्थानीय लोगों की ईंधन की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से कुल 6500 एल.पी.जी. कनेक्शन अनुदानित दर पर वितरित किये जायेंगे।

6. बर्ड रेस्क्यू सेंटर

घायल पक्षियों के तत्काल उपचार हेतु जयपुर, भरतपुर, पाली एवं तालछापर (चूरू) में एक–एक बर्ड रेस्क्यू सेन्टर का निर्माण पूर्ण कर चालू किया जाएगा।

7. कन्जर्वेशन रिजर्व की घोषणा

वन्य जीव संरक्षण हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 ए के अन्तर्गत ग्रास फार्म नर्सरी (जयपुर), सोरसन (बारां), जीणमाता (सीकर), मनसामाता (झुंझुनूं) एवं झालाना (जयपुर) को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी कराई जाएगी।

8. इको–ट्यूरिज्म

पर्यटक स्थलों पर ढांचागत विकास एवं पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बस्सी (चित्तौड़गढ़), सीतामाता (प्रतापगढ़), हमीरगढ़ व मेनाल (भीलवाड़ा) इको–ट्यूरिज्म परियोजनाओं को पूर्ण किया जाकर पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु आम जनता के लिए खोला जाएगा।

9. वाहन चालकों की नियुक्ति

वर्तमान में 194 वाहन चालक एवं 49 सर्वेयरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आगामी 60 दिवस में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर वाहन चालकों एवं सर्वेयरों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10. वन उपज के विक्रय से आय का ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के वनों से तेन्दूपत्ता एवं बांस से वर्ष 2012–13 में प्राप्त आय राशि ₹ 830.24 लाख को पंचायत राज विभाग को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

11. वन अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

पायलट परियोजना के रूप में नागौर जिले के वन भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर जन उपयोग हेतु विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जावेगा।

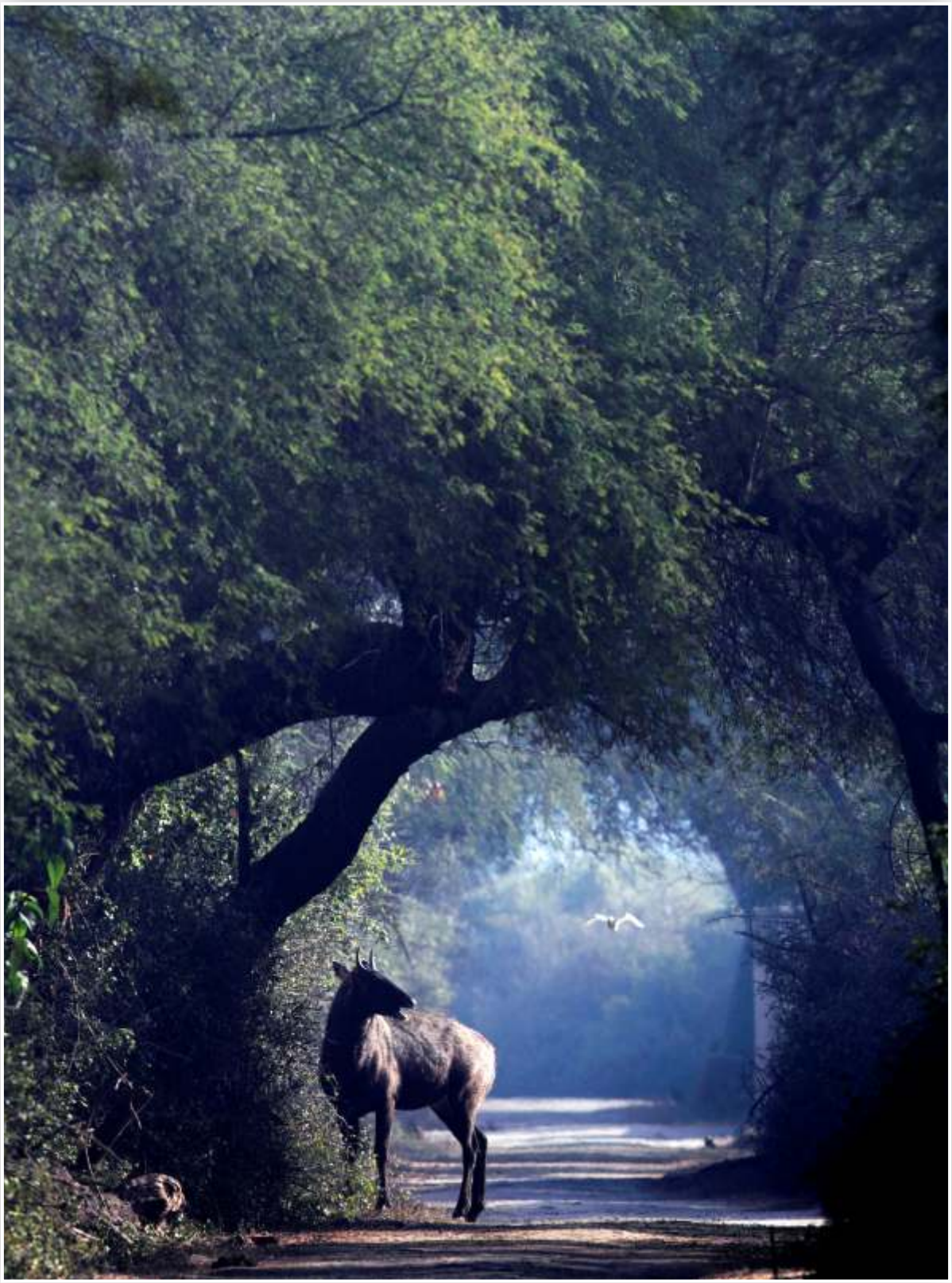

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में सघन वन क्षेत्र में नील गाय का विचरण

छाया : जी. एस. भारद्वाज

सुराज संकल्प घोषणा पत्र

क्र. सं.	मुख्य घोषणाओं का विवरण
1.	13.20 - The Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुनः संशोधित किया जाएगा।
2.	15.01.1 – राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर–खींप की फली आदि को संरक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाएगा।
3.	15.02 – वनौषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
4.	15.04 – राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने हेतु परिणामजनक योजना बनाई जाएगी।
5.	15.05 – बाघ अभयारण्य से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों को बसाने की समीक्षा कर उसे रोजगार, आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।
6.	15.06 – National Park तथा Sanctuaries के प्रभावी प्रबोधन (Monitoring) के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय–समय पर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर इनके रख–रखाव तथा विकास के संबंध में आवश्यक सुझाव देगी।
7.	15.08 – वनवासी युवकों की वन संरक्षण व वृक्षारोपण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।
8.	19.07 – राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करना।
9.	19.13 – सरकारी सड़कों एवं किसानों की खातेदारी भूमि के रिक्त भूमि पर सरकार द्वारा पेड़ लगाकर उसके संवर्धन, सुरक्षा एवं लाभ में किसान को 50 प्रतिशत भागीदारी वाली योजना बनाई जाएगी।

सुराज के संकल्प के साथ माननीया श्रीमती वसुंधरा राजे ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य, स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

- पश्चिमी मरुस्थल
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
- पूर्वी मैदानी भाग
  - बनास सिंचित क्षेत्र
  - चप्पन सिंचित क्षेत्र
- दक्षिणी–पूर्वी पठार

छाया : अनुराग भटनागर

राज्य का दक्षिण पूर्वी पठार : भैंसरोडगढ़ अभयारण्य

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

- मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
  - नहरी–सिंचित क्षेत्र
  - असिंचित क्षेत्र
  - लूणी बेसिन
- अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
  - उत्तरी अरावली प्रदेश
  - मध्य अरावली प्रदेश
  - दक्षिणी अरावली प्रदेश
- पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
  - बनास बेसिन
  - माही बेसिन
  - बाण गंगा बेसिन
  - साहिबी बेसिन
  - गम्भीरी बेसिन
  - वराह / बराह बेसिन
- हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
  - चम्बल बेसिन
  - डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू–उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य है:–

छाया : जी. एस. भारद्वाज

जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय क्षेत्र में विचरण करता चिंकारा

राजस्थान में भू–उपयोग : एक दृष्टि में (राजस्व रिकार्ड अनुसार)

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू–उपयोग	कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में	प्रतिशत
1.	वन	27,27,944	7.96
2.	अकृषि भूमि	19,70,058	5.75
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	22,95,083	6.70
4.	चरागाह भूमि	16,98,800	4.96
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	43,35,845	12.65
6.	विविध वृक्ष कृषि एवं वृक्ष समूह	17,684	.05
7.	परती भूमि	36,73,058	10.72
8.	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	1,75,51,414	51.22
	योग (भू–उपयोग हेतु रिपोर्ट किया गया कुल क्षेत्र)	**3,42,69,886**	100

स्रोत : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) राज.

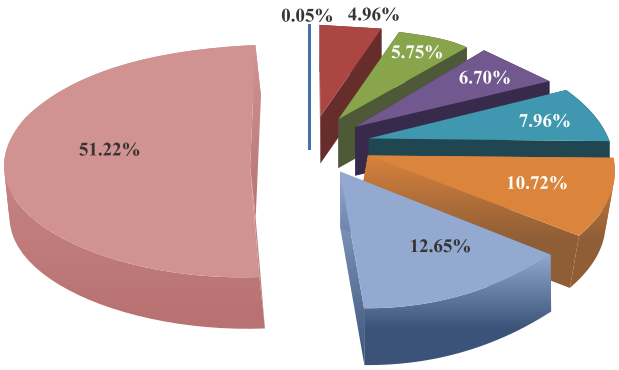

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.57 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर अग्रानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2247.87	06.86
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19027.75	58.11
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9293.65	28.38
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	2048.58	06.26
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	126.64	00.39
	योग	**32744.49**	**100.00**

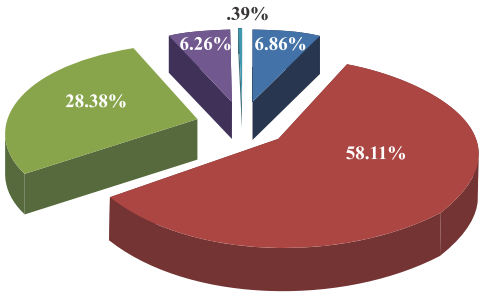

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32744.49 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12439.26	37.99
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18263.02	55.77
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2042.20	6.24
	कुल योग	**32744.49**	**100.00**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

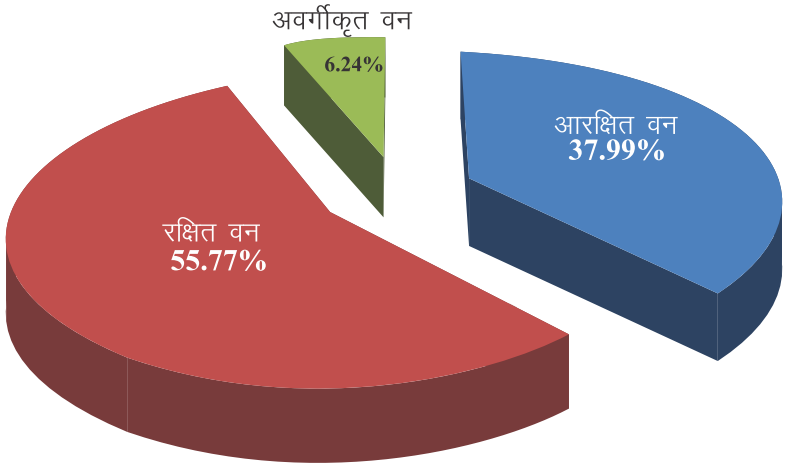

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32,744.49 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.57 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.25 प्रतिशत
  - * प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.05 हैक्टेयर
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 16,087 वर्ग किमी.

  (भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार)
  - * अति सघन वन (छत्र घनत्व > 70 प्रतिशत) : 72 वर्ग किमी.
  - * सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70 प्रतिशत) : 4,448 वर्ग किमी.
  - * खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40 प्रतिशत) : 11,567 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन : 4.70 प्रतिशत

  गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2009 के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि : 51 वर्ग किमी.
- वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) : 8,272 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन : 2.42 प्रतिशत
- वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover) : 24,359 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र : 7.12 प्रतिशत
- राज्य में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार : 2,455 वर्ग किमी.

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

जयपुर के झालाना वन क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वन एवं बादलों के संगम का मनोरम दृश्य

छाया : जगदीश गुप्ता

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

- **उच्च स्तरीय प्रशासन :**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

वन विभाग की गतिविधियों की वन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हुए माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे (1 फरवरी, 2014)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 21.08.2013 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को विभिन्न वृत्त क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

• मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। दिनांक 02.01.2014 से सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्र राजस्व संभागों के अनुरूप है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि संबंधी कार्यों में सहायता हेतु प्रत्येक संभाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद सृजित किया गया है।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में छः मुख्य वन संरक्षक क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर व इकोट्यूरिज्म, जयपुर में कार्यरत हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रभावी किया जा सकेगा तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी

वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है:–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में राज्य में 92 अधिकारी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 9 अधिकारी विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। राजस्थान केडर के भा.व.से. के 9 अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, भारतीय वन सेवा के 11 अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा भारतीय वन सेवा के चार अधिकारी प्रशिक्षण में हैं। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के स्वीकृत पदों का विवरण (01–12–2013 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है:–

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	रिक्त पद (कैडर में)
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)	1	–	1	–
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	2	3	1
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	9	15	1
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	11	32	6
4.	वन संरक्षक	16	2	18	12
5.	उप वन संरक्षक	44	6	50	10
	योग	**89**	**30**	**119**	**30**

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का एक मनोरम दृश्य

छाया : जी. एस. भारद्वाज

चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में भा.व.से. के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे/चुके हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री शफाअत हुसैन	31.05.2013
2.	श्री यू.एम. सहाय	31.10.2013
3.	श्री मोतीलाल मीणा	31.12.2013
4.	श्री संकठा प्रसाद	28.02.2014
5.	श्री मांगीलाल सोनल	28.02.2014

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	100	21
2.	सहायक वन संरक्षक	329	203
	योग	**429**	**224**

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :–

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	2
	योग	**7**	**3**

• राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारियों के स्वीकृत / रिक्त पदों का विवरण 1 दिसम्बर, 2013 की स्थिति अनुसार:–

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	118	36

वर्ष 2013–14 में नव पद सृजित

1. उप वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा)–33
2. सहायक वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा)–180
3. क्षेत्रीय (द्वितीय) – 270
4. वाहन चालक – 144
5. सहायक वनपाल – 580

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :–

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण 1 दिसम्बर, 2013 की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	258	130	128
2.	जू–अधीक्षक	01	1	0
3.	क्षेत्रीय–द्वितीय	451	164	287
4.	जू–सुपरवाइजर	4	03	01
5.	वनपाल	979	790	189
6.	सहायक वनपाल	1498	850	648
7.	वनरक्षक	3967	3592	375
	योग	**7158**	**5530**	**1628**

• विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्ति

वनरक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में वन विभाग में 1010 वनरक्षकों के पदों पर नियुक्तियां दी गईं तथा वर्ष 2012–13 में वनरक्षकों के 852 रिक्त पदों को भरने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति के क्रम में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2013 में 746 वनरक्षकों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में की गई बजट घोषणा के क्रम में विभाग में 194 वाहन चालक एवं 49 सर्वेयर के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 12594 दिनांक 27.8.2013 को जारी की जाकर दिनांक 6.10.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। वाहन चालन का परीक्षण एवं साक्षात्कार की कार्यवाही की जाकर वाहन चालकों एवं सर्वेयर के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

• मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service) :-

माह दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयिक सेवा के कुल 1002 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 128 पद रिक्त चल रहे हैं।

• चतुर्थ श्रेणी संवर्ग :

माह दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार इस वर्ग के कुल

413 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें 34 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **लेखा एवं तकनीकी संवर्ग**

  (Accounts & Technical Service):-

विभाग में लेखा एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 675 पद स्वीकृत हैं माह दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार इनमें से 300 पद रिक्त चल रहे हैं।

प्रशासनिक कार्य :

- **पदोन्नति :**

विभाग में वर्ष 2013–14 में राजपत्रित संवर्ग में निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं:–

- **वर्कचार्ज संवर्ग**

  (Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 6663 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जल क्रीड़ा करते (Snake bird)

क्र.सं.	पदनाम	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	आई.एफ.एस. बोर्ड/डी.पी.सी. वर्ष					
			2003	2007 (ए)	2008	2009	2010	2011
1.	उप वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा से भारतीय वन सेवा में)	30	1	1	2	16	4	6
2.	उप वन संरक्षक	70 (नियमित 39) (तदर्थ 31)	2013–14					
3.	सहायक वन संरक्षक	118 (नियमित 90) (तदर्थ 28)	2013–14					

विभाग में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2013–14 में विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1.	क्षेत्रीय प्रथम (क्षेत्रीय द्वितीय से)	11	2013–14
2.	क्षेत्रीय द्वितीय (वनपाल से)	45	2013–14
3.	कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक से)	12	2010–11 से 2011–2012

4.	कार्यालय सहायक (वरिष्ठ लिपिक से)	52	2010–11 से 2012–2013
5.	वरिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ लिपिक से)	82	2010–11 से 2012–13
6.	कनिष्ठ लिपिक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से)	10	2013–14
7.	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक से)	3	2013–14
8.	वरिष्ठ निजी सहायक (निजी सहायक से)	7	2013–14
9.	निजी सहायक (आशुलिपिक से)	23	2013–14
10.	निरीक्षक	2	2013–14
11.	प्रारूपकार	3	2013–14
	योग	**250**	

13. वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:–

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक	विशेष विवरण
1.	वरिष्ठ निजी सहायक	3876/सी दिनांक 26.08.2013	01.04.2011 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2.	निजी सचिव	3610/सी दिनांक 13.08.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3.	निजी सहायक	3623–3672/सी दिनांक 13.08.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4.	आशुलिपिक	3815/सी दिनांक 26.08.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5.	कार्यालय अधीक्षक	2102–26/सी दिनांक 31.05.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
6.	कार्यालय सहायक	6066–6175/सी दिनांक 23.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
7.	वरिष्ठ लिपिक	5667–5777/सी दिनांक 09.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
8.	कनिष्ठ लिपिक	2283–2383/सी दिनांक 07.06.2013	01.04.2010 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
9.	क्षेत्रीय प्रथम	2585/सी दिनांक 13.08.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
10.	क्षेत्रीय द्वितीय	1684/सी दिनांक 21.06.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
11.	निरीक्षक	5557–5570/सी दिनांक 01.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
12.	अमीन	5572–90/सी दिनांक 01.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
13.	ट्रेसर	5289/सी दिनांक 16.12.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
14.	वनपाल	2384/सी दिनांक 07.06.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
15.	प्रारूपकार	5545/सी दिनांक 01.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3073/सी दिनांक 29.07.2013	01.04.2012 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
17.	अनुसंधान सहायक	5642/सी दिनांक 06.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
18.	सर्वेयर/फील्डमैन	5513/सी दिनांक 26.10.2012	01.04.2012 की स्थिति अनुसार संयुक्त वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

1. सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत विभागीय जांचों के 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
2. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लोकसेवकों को दिये गये दण्डों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 23 के तहत प्र.मु.व.स. कार्यालय द्वारा 11 अपील प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
3. राजस्थान वन सेवा के एक अधिकारी को सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1 (213) का/क–3 दिनांक 31.12.2013 से प्राप्त आरोप–पत्र जारी किये गये हैं।

• शिकायतों का निस्तारण

सुगम वेब पोर्टल पर विभाग से सम्बन्धित प्राप्त 277 शिकायतों में से 193 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

• अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में वर्ष 2013 में सीधी भर्ती के पदों पर निम्नानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी गई हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1.	कनिष्ठ लिपिक	37	0
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27	17
3.	वनरक्षक	15	0
4.	चालक	2	0
5.	पटवारी	0	2
	योग	**81**	**19**

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2013–14 में विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही :–

दशम् सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	44	44	0
अतारांकित प्रश्न	44	44	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/	14	14	0
विशेष उल्लेख			
प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव			
अंतः सत्रकाल	1	1	0

एकादश सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	2	2	0
अतारांकित प्रश्न	4	3	1
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	1	1	0
आश्वासन	7	5	2
अंतः सत्रकाल	0	0	0

❁ विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको

वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है जिसे समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 7053 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 19, माननीय उच्च न्यायालय में 1710, ट्रिब्यूनल में 285 एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 1475 तथा अन्य न्यायालयों में 3564 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❁ ''सूचना का अधिकार'' संबंधित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 के आदेश में दिनांक 5.5.2011 को आंशिक संशोधन कर शासन सचिवालय स्तर पर शासन उपसचिव, राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किए गए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 09.10.2012 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 84 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 96 लोक सूचना अधिकारी व 23 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

दिनांक 18 जुलाई, 2012 को राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश क्र.प. 8 (16) वन/2005 पार्ट जारी कर सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभाग के लोक सूचना अधिकारी यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) राजस्थान, जयपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) राजस्थान जयपुर के अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव वन को नियुक्त किया गया है।

अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने सम्बन्धी 232 आवेदन पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 224 आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 8 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं। प्र.मु.व.स. कार्यालय में अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक 5 अपीलें प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

❁ श्रम अनुभाग सम्बन्धी न्यायालय कार्य की प्रगति

- श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों में 78 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 10 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुये हैं।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 50 प्रकरणों में लगभग ₹ 43.00 लाख के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं।

❁ लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

वित्तीय वर्ष 2013–14 (28 जनवरी, 2014 तक) में

छाया : पी. सी. जैन

सीतामाता अभयारण्य में राज्य पुष्प रोहिडा

लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	01.04.2012 को बकाया		नये प्राप्त 2012–13		निस्तारण वर्ष 2012–13		लम्बित 31.03.2013	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सीएजी प्रतिवेदन	–	–	1	10	1	10	–	–
2.	जनलेखा समिति	1	2	6	68	3	18	4	52
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	–	–	2	–	2	–	–
4.	तथ्यात्मक पैरा	–	–	–	7	–	7	–	–
5.	महालेखाकार के आक्षेप	410	1257	55	182	40	289	425	1250
6.	निरीक्षण विभाग	73	594	1	11	2	40	72	565

सीतामाता अभयारण्य में दूसरे वृक्षों पर पनपने वाला आर्किड Vanda जो परजीवी नहीं होता और हवा की वाष्प से ही जलग्रहण कर लेता है

छाया : पी. सी. जैन

3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❁ वन अधिनियम में संशोधन

राज्य सरकार ने वन सुरक्षा हेतु क्रियान्वित किए जा रहे वन अधिनियम, 1953 में संशोधन किए जाने हेतु राज. वन (संशोधन) अधिनियम 2014 पारित किया है। यह संशोधन राज. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित किया गया है। संशोधन में 1953 के राजस्थान वन अधिनियम की आरक्षित वन से सम्बन्धित धारा 26 की उपधारा (1) के स्थान पर नई उपधारा 26 (1) व 26 (1–क) प्रतिस्थापित की गई है। इसी प्रकार अधिनियम की आरक्षित वृक्ष व रक्षित वनों से सम्बन्धित नियमों के उल्लंघन पर दण्ड से सम्बन्धित धारा 33 की विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर उपधारा (1) व (1–क) प्रतिस्थापित की गई है। इस संशोधन में उक्त धाराओं में साधारण अपराध कारित करने पर अधिकतम छ: माह का कारावास अथवा पांच सौ रुपये तक जुर्माना या दोनों तथा आग लगाने, खनन, भूमि सफाई वन उपज के संग्रहण, शिकार खेलने, गोली चलाने, मछली पकड़ने, जल विषैला करने, जाल बिछाने या वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी भी कार्य जैसे अपराधों पर छ: मास के कारावास अथवा अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजायें साथ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

❁ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्य जीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

❁ वायरलैस सेट्स की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

❁ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय–समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

❁ अतिक्रमण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को एलआरए–91 के तहत विशेष न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.13 तक प्राप्त सूचना अनुसार वनभूमि पर कुल 20357 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज हैं जिनमें 25161.82 है. वन क्षेत्र प्रभावित था। वित्तीय वर्ष 2013–14 में नियमित अभियान चलाकर कुल 6655 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 6938.072 है. वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं बतौर मुआवजा राशि ₹ 17.23 लाख वसूल की गई है।

❁ अवैध कटान

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अवैध कटान के कुल 3969 प्रकरण दर्ज है। इनमें कुल 1824

छाया : महेशचन्द्र गुप्ता

वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु नावार्ड योजनान्तर्गत दौसा जिले में वन सीमा पर निर्मित दीवार

प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 81.86 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध चराई

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अवैध चराई के कुल 2651 प्रकरण दर्ज है। इनमें कुल 1603 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 39.95 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध खनन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अवैध खनन के कुल 3243 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 1072 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 210.69 लाख वसूल किया गया।

❋ वन्य जीव अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक वन्य जीव के कुल 1390 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 50 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 7.94 लाख वसूल किया गया।

❋ अन्य वन अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अन्य वन अपराध के कुल 2066 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 594 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 66.11 लाख वसूल किया गया।

❋ पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी के कुल 1005 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 584 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 6.68 लाख वसूल किया गया।

❋ सीमा चिह्न की तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक सीमा चिह्न एवं तोड़फोड़ के कुल 22 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 2 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 0.14 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध परिवहन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अवैध परिवहन के कुल 727 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 221 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 131.25 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध आरामशीन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 31.12.2013 तक अवैध आरामशीन के कुल 1666 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 277 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 8.16 लाख वसूल किया गया।

❋ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार पत्र जारी करना :

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का–2) एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वनभूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों को अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई हैं जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों

की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति द्वारा ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी अभिशंसा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है। आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर से दिनांक 31.12.2013 तक की प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 69775 दावे प्राप्त हुए जिनमें से 34132 दावे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत पाये गये तथा 32260 दावे स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किए गए। इस प्रकार कुल प्राप्त दावों 69775 में से 66392 दावे निर्णित किये जा चुके हैं तथा 3383 दावे उपखण्ड समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन हैं। वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 33,980 व्यक्तिगत अधिकार पत्र, 60 सामुदायिक अधिकार पत्र एवं धारा 3 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सामुदायिक सुविधा हेतु 40 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं।

आरामशीनों का स्थान परिवर्तन

राजस्थान वन उपज (आरा मिलों की स्थापना एवं नियमन) नियम, 1983 एवं (संशोधित) नियम 2012 के अन्तर्गत आरा मशीन स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन हेतु संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरा मशीन स्थान परिवर्तन एक जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है।

वन भूमि डायवर्जन

31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य वन विभाग में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु 176 प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनका विवरण अग्रानुसार है :

एफ.सी.ए. (1980) के अनुसार 31.12.2013 को विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल विचाराधीन प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण				प्रथम चरण क्लियरेंस एवं वर्तमान में भी विचाराधीन	1 जनवरी, 13 से 31 दिसम्बर, 13 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	25	21	–	3	1	19	–
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	9	4	–	1	4	5	1
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	61	50	–	6	5	44	5
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	3	2	–	–	1	1	–
5.	विद्युत प्रसारण निगम	11	9	1	–	1	6	3
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	4	4	–	–	–	3	–
7.	भारतीय रेल	8	5	–	2	1	4	–
8.	अन्य	55	30	4	4	14	23	5
	कुल	**176**	**125**	**5**	**16**	**25**	**105**	**14**

जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक कुल 38 प्रकरणों में प्रथम चरण की स्वीकृति एवं 14 प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति जारी की गई है।

कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण तथा एनपीवी (नेट

प्रजेंट वैल्यू) आदि से प्राप्त राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एण्ड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा फण्ड) की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गयी है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 12.11.2010 को जारी कर राजस्थान राज्य कैम्पा कोष प्राधिकरण का गठन कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.7.09 अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार बजट का आवंटन किया गया:–

वित्तीय वर्ष	2009–10	₹ 3259.08 लाख
वित्तीय वर्ष	2010–11	₹ 4206.98 लाख
वित्तीय वर्ष	2011–12	₹ 3189.13 लाख
वित्तीय वर्ष	2012–13	₹ 3742.98 लाख
वित्तीय वर्ष	2013–14	₹ 3450.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 55.12 करोड़ (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर स्वीकृत करायी गई थी जिसके विरुद्ध ₹ 49.63 करोड़ का आवंटन वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यों पर किया गया था तथा दिनांक 31.3.2013 तक उल्लेखित कार्यों पर ₹ 46.12 करोड़ का व्यय किया गया।

कैम्पा कार्यों की वर्ष 2012–13 की प्रमुख भौतिक उपलब्धियां

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	600 है.	549.32 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	538.88 है.	538.88 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	468 है.	468.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	1000 है.	1000.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	1000 है.	1000.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	1750 है.	1750.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	2600 है.	2300.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	4500 है.	4500.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण द्वितीय वर्ष	6175 है.	6175.00 है.
पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी) 4 फीट ऊंचाई	25000 RMT	25766 RMT
पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी) 6 फीट ऊंचाई	20000 RMT	20255 RMT

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
अभेड़ा जैविक उद्यान की पक्की दीवार का निर्माण का कार्य 12 फीट ऊंचाई	1334 RMT	1370 RMT
वन भूमि के सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भों का निर्माण	3200 No.	2008 No.
एनीकट/गजलर/जल संरचनाओं का निर्माण	30 No.	29 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	20 No.	18 No.
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	10 No.	8 No.
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का निर्माण	200 है.	200 है.
वन्य जीवों हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना उदयपुर, देसूरी (पाली), तालछापर (चूरू), सोरसन (बारां), खेजड़ली (जोधपुर)	5 No.	5 No.
वन सुरक्षा कार्यों हेतु वाहन क्रय	7 No.	7 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु मोटर साइकिल उपलब्ध कराना	20 No.	20 No.
ब्लैकबक कन्जर्वेशन रिजर्व बनाना सोरसन (बारां)	1 No.	1 No.
पैंथर कन्जर्वेशन रिजर्व बनाना (पाली)	1 No.	1 No.
इन्टर प्रिटेशन सेंटर बनाना (पाली)	1 No.	1 No.

उपरोक्त के अतिरिक्त वनरक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल व क्षेत्रीय वनाधिकारी जो फील्ड में कार्यरत है, को मोबाइल फोन सुविधा CUG योजना के अन्तर्गत 4000 कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वनाधिकारी व अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के कार्यालय (नाका/चौकियों) का संधारण कार्य भी कराया गया।

वन विभाग के मुख्यालय हेतु निर्माणाधीन अरण्य भवन हेतु ₹ 4 करोड़ भी उपलब्ध कराये गये।

वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित कार्य :– वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ₹ 4513.97 लाख (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाकर राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी से स्वीकृत कराई जा चुकी है तथा सम्बन्धित वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य प्रगति पर हैं।

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	500 है.	कार्य प्रगतिरत
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	548.53 है.	548.53 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	538.88 है.	538.88 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण तृतीय वर्ष	468 है.	468 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	1000 है.	कार्य प्रगतिरत
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	1000 है.	1000 है.

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	1000 है.	1000 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण तृतीय वर्ष	1750 है.	1750 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	1500 है.	कार्य प्रगतिरत
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	2300 है.	2300 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण द्वितीय वर्ष	4500 है.	4500 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण तृतीय वर्ष	6175 है.	6175 है.
वन क्षेत्रों में पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी) 4 फीट ऊंचाई	15000 RMT	कार्य प्रगतिरत
वन्य जीव क्षेत्रों में पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी) 6 फीट ऊंचाई	12000 RMT	कार्य प्रगतिरत
अभेड़ा जैविक उद्यान की पक्की दीवार का निर्माण का कार्य 12 फीट ऊंचाई	2000 RMT	कार्य प्रगतिरत
ब्लैकबक कन्जर्वेशन रिजर्व बनाना सोरसन बारां क्षेत्र में 4 फीट पक्की दीवार निर्माण कार्य	1400 RMT	कार्य प्रगतिरत
वन भूमि के सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भों का निर्माण	1500 No.	कार्य प्रगतिरत
वन्य जीव क्षेत्रों में एनीकट/गजलर/जल संरचनाओं का निर्माण	25 No.	कार्य प्रगतिरत
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	19 No.	कार्य प्रगतिरत
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	8 No.	कार्य प्रगतिरत
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का संधारण	200 है.	कार्य प्रगतिरत
वन्यजीवों हेतु पुनर्वास केन्द्रों का संधारण	9 No.	कार्य प्रगतिरत
वन्य सुरक्षा हेतु कैन्टर उपलब्ध कराना	7 No.	कार्य प्रगतिरत
अधीनस्थ वनकर्मियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु मोटर साइकिल उपलब्ध कराना	50 No.	कार्य प्रगतिरत
पैंथर कन्जर्वेशन रिजर्व संधारण	1 No.	कार्य प्रगतिरत
इन्टर प्रिटेशन सेंटर संधारण	1 No.	कार्य प्रगतिरत
आईटी कार्यों के लिए फील्ड ईक्यूपमेंट उपलब्ध कराना व डीजीपीएस सर्वे कार्य	72.00 लाख	कार्य प्रगतिरत

राजस्थान में गर्मी के मौसम में वन क्षेत्रों में पानी की भयंकर कमी हो जाती है। अत: वन्यजीवों को वन क्षेत्र में पानी मुहैया कराने के लिए पिंच पीरियड में पानी खरीद व परिवहन पर तथा वन क्षेत्रों में लगने वाली आग के नियंत्रण हेतु फायर वाचर्स को अस्थायी तौर पर रखा गया। अधीनस्थ वनकर्मियों के निवास तथा कार्यालय की मरम्मत हेतु भी राशि उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कैम्पा मद में जनवरी, 2014 तक ₹ 2100.00 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा समस्त कार्य प्रगति पर है।

4

वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.57 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू–भाग का एक–तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय कमी को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.12 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उपरोक्त संस्थाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने पर उन्हें भी कुछ शर्तों के अध्याधीन 1000 पौधे तक 1 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई संस्था या व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसे भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन एक रुपये प्रति पौधा की दर से ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण अग्रानुसार है:–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरु भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत सेवारी पौधशाला (पाली) में वितरण हेतु पौधे

पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चरागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

चालू वर्ष 2013–14 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति अग्रानुसार है :–

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि (दिस., 13 तक)
बिन्दु सं. 52 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर में)	57,000.00	66,775.00
पौधारोपण (लाखों में)	370.00	464.264

उपर्युक्त उपलब्धियों का जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में वर्णित है।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नांकित है :–

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई. सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) के आसपास 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्रों में स्थित कुल 650 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत ग्राम जाविया (जालौर) में अग्रिम मृदा कार्य

8 वर्षीय यह परियोजना 2011–12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किये जायेंगे। परियोजना में कार्य यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति/पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूह का गठन कर किये जायेंगे। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ है जिसमें से ₹ 884.77

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत वृक्षारोपण गोपालपुरा में पौधारोपण एवं रोजगार सृजन

करोड़ का ऋण JICA द्वारा वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जावेगा। इस परियोजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 207.00 करोड़ व्यय होने की संभावना है।

परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	योग
1.	वनीकरण	423.28
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	1.63
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	46.92
4.	जैव विविधता संरक्षण	84.36
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	16.89
6.	समुदायों को गतिशील करना	65.42
7.	क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शोध	6.34
8.	परियोजना प्रबन्धन	29.82
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	5.90
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए संविदा कार्यकार	14.96
	योग	**695.52**
11.	लागत वृद्धि	97.50
12.	भौतिक अनिश्चय	79.30
13.	परामर्शकारी सेवाएं	12.47
14.	प्रशासनिक लागत	219.17
15.	वैट एवं आयात कर	14.00
16.	निर्माण अवधि का ब्याज	27.50
17.	कमिटमेंट प्रभार	7.07
	योग	**457.01**
	महायोग	**1152.53**

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण की मिनिट्स ऑफ डिस्कशन (एम.डी.) पर दिनांक 22.12.2010 को JICA के साथ हस्ताक्षर हो चुके हैं। परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन किया जाकर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया है।

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 25 मण्डल प्रबन्ध इकाइयों तथा 80 क्षेत्र प्रबन्ध इकाइयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को इकाई के रूप में लिया गया है। मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु एक स्वयंसेवी संस्था का चयन किया गया है जो उपरोक्त कार्यों में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग करेगी।

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर एक परियोजना प्रबन्ध सलाहकार समिति का भी नियोजन किया गया जिसमें अलग–अलग विषयों यथा वानिकी, आजीविका संवर्द्धन, साझा वन प्रबन्ध आदि के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधियाँ

इस परियोजना में विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएं अनुबन्ध पर ली गई हैं, जिनमें वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक जैव विविधता, साझा वन प्रबन्धक, व्यवसायी योजना एवं बाजार से जुड़ाव, संचार विस्तार एवं प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन व विभिन्न प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव, ऑफिस एक्जीक्यूटिव आदि शामिल है।

परियोजना के अन्तर्गत किसी भी गांव में गतिविधि शुरू करने से पहले नियोजित स्वयंसेवी संस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों को शामिल करते हुए क्षेत्र के ऐसे विकास का आयोजन करें जिससे सर्वाधिक सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके।

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। परियोजना अवधि में लगभग 375 लाख पौधे लगाये जाने की संभावना है। परियोजनान्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों के भौतिक लक्ष्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	वृक्षारोपण है. में (अग्रिम कार्य)
1.	2011–12	8365
2.	2012–13	20912
3.	2013–14	26778
4.	2014–15	27595
5.	2015–16	संधारण कार्य
6.	2016–17	संधारण कार्य
7.	2017–18	संधारण कार्य
8.	2018–19	संधारण कार्य
	योग	**83650 है.**

कुल 83650 है. वृक्षारोपण कार्य में से लगभग 52000 है. वन क्षेत्र में एवं शेष 31650 है. राजकीय भूमि, सामुदायिक भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 में माचिया बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गए हैं। आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2012–13 में 71 स्वयं सहायता समूहों एवं वर्ष 2013–14 में 41 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में संशोधित अनुमान ₹ 7675.00 लाख के विरुद्ध ₹ 3617.38 लाख व्यय किए जाकर परियोजना क्षेत्र में वनीकरण कार्य, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण व जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धी

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत चौपा की नाल (पाली) में निर्मित एनीकट टाईप–2

कार्य कराए गए हैं। वर्ष 2013–14 में 39,653 है. क्षेत्र में अग्रिम कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं।

वित्तीय प्रगति वर्ष 2013–14

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	वित्तीय प्रावधान	व्यय दिसम्बर, 2013 तक
1.	वनीकरण	12689.35	3034.50
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	17.20	0.00
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	1054.20	170.46
4.	जैव विविधता संरक्षण	3246.53	1225.27
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	404.60	0.13
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	305.22	4.42
7.	समुदायों की गतिशीलता	1986.85	152.29
8.	परियोजना प्रबन्ध	568.20	291.41
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	108.00	0.60
10.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	192.85	119.49
	योग	**20573.00**	**4998.57**
11.	प्रशासनिक लागत	127.00	84.42
12.	वैट एवं आयात कर		0.00
	महायोग	**20700.00**	**5082.99**

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2013–14

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य	दिसम्बर, 2013 तक उपलब्धियां
1.	वनीकरण कार्य			
अ.	अग्रिम कार्य	है.	39653	3656
ब.	अग्रिम कार्य सह वृक्षारोपण	है.	14762	10693
2.	जल संरक्षण संरचनाएं			
अ.	एनीकट टाइप–प्रथम	संख्या	100	7
ब.	एनीकट टाइप–द्वितीय	संख्या	45	11
स.	चैकडेम	घनमीटर	30000	9310
द.	कन्टूर बन्डिंग	रनिंग मी.	100000	23500
य.	परकोलेशन टैंक	संख्या	150	17
र.	पारम्परिक जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार	संख्या	40	4
ल.	सिल्ट डिटेंशन संरचना	संख्या	100	6
व.	गैबियन संरचना	संख्या	110	14
3.	जैव विविधता संरक्षण			
अ.	नाला उपचार कार्य	है.	3800	550
ब.	जल बिन्दुओं का विकास	संख्या संरचना	40	7
स.	जैव विविधता संरक्षण हेतु क्लोजर	है.	1250	325
द.	नए जैविक उद्यानों का सृजन	संख्या		कार्य प्रगतिरत है
य.	जैविक उद्यानों का विकास	संख्या		कार्य प्रगतिरत है

• नाबार्ड पोषित परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष में परियोजना अन्तर्गत 29504 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करा लिया गया है तथा शेष वृक्षारोपण कार्य अगले वर्ष पूर्ण कराया जाना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु परियोजना अन्तर्गत ₹ 61 करोड़ का बजट प्रावधान है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता

समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन कार्य आदि भी किये जा रहे हैं। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे हैं।

• परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित RIDFXVIII परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय स्तर की पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हों तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिसकी परिणति जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

पैकेज–1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत निम्न चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है:

(i) परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–I (Rehabilitation of Degraded Forests-I) : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(ii)परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–II (RDF-II) : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(iii) प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (Assisted Natural Regeneration) : ऐसे वन क्षेत्र जहां वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150–200 पौधे लगाए जाने की संभावना हो, में इस मॉडल के तहत कार्य किया जावेगा।

(iv) पंचायत भूमि वृक्षारोपण (Panchayat Land Plantation) : वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चरागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज–2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज–3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों में चेकडैम, गैबियन चेकडैम, रिसाव तालाब (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा वनभूमि से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि

में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

पैकेज–4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से सम्बन्धी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, साझा वन प्रबंध के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।

पैकेज–5 : दक्षता निर्माण (Capacity Building) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीक की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराए जा सकें।

पैकेज–6 : संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस., कैमरा, टी.वी., वी.सी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीक सम्बन्धी वन–पर्यावरण के सम्बन्ध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज–7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) : इस पैकेज के तहत परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।

नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 19 अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 से

छाया : महेशचन्द्र गुप्ता

2018–19 की अवधि में 43000 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। द्वितीय चरण की कुल प्रस्तावित लागत ₹ 283.42 करोड़ है। इस चरण की परियोजना को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

• पर्यावरण वानिकी

मरुस्थलीय जिले जैसलमेर में पर्यावरण सुधार हेतु ईको–टॉस्क फोर्स द्वारा वर्ष 2013–14 में 300 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है जिस पर ₹ 95.51 लाख व्यय किये जायेंगे इसके अतिरिक्त जोधपुर में देवकुण्ड वन खण्ड में स्थापित वन औषधीय उद्यान तथा जयपुर में स्थित कर्पूरचन्द कुलिश स्मृति वन के वृक्षारोपणों के संधारण का कार्य किया जा रहा है। सीकर शहर के आसपास के क्षेत्र को वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु वन भूमि पर स्मृति वन का कार्य आरम्भ हो चुका है। इसकी लागत ₹ 783.36 लाख है।

• तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषाओं में विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों तथा वनों के संबंध में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पांच वर्ष हेतु ₹ 88.32 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार निर्माण, वन क्षेत्र की सीमाओं पर मिनारें लगवाना, चिड़ियाघरों का विकास, संरक्षित क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, ई–गवर्नेंस, पुराने भवनों का संधारण, कार्य योजनाओं का निर्माण तथा बैम्बू में

कल्चरल ऑपरेशन्स से सम्बन्धित विकास कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे। इस वर्ष ₹ 2208.00 लाख व्यय किये जावेंगे। माह दिसम्बर तक 371.63 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

• परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 5000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2596.42 लाख व्यय किये जायेंगे।

• जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरु प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा मेगा शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में 1746 हैक्टेयर में ₹ 833.26 लाख की लागत से अग्रिम मृदा कार्य करवाये जा रहे हैं। जिसमें से माह दिसम्बर, 2013 तक 378.13 लाख रुपये व्यय किए जाकर 1500 है. क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है।

• साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 5538 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हैं जो लगभग 7.65 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 30.00 लाख व्यय किये जायेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत ग्राम तालेटा (सिरोही) में जन सहयोग से पी.आर.ए. अभ्यास

• अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष ₹ 41.86 लाख व्यय किये जायेंगे।

❁ भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनर्वनारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया गया है। भाखड़ा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल

गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भाखड़ा नहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 280.26 लाख व्यय किए जाकर 500 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2013 तक ₹ 157.96 लाख व्यय किए जाकर 714 रो किमी. कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 330.98 लाख व्यय किए जाकर 700 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हैं। माह दिसम्बर, 2013 तक ₹ 226.99 लाख व्यय किए जाकर 744 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

❀ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया था। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। ये अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

अभिकरण ने वर्ष 2013-14 के लिए पत्र संख्या एफ 5 ( ) 2012/SFDA/विकास/प्रमुवसं/477 दिनांक 22.04.2013 से कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिए थे। भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. MEF (NAEB) : 4-1/2013-B-III दिनांक 20.06.2013 द्वारा अभिकरण के ₹ 562.18 लाख की वार्षिक योजना को स्वीकृति मिल चुकी है तथा ₹ 281.09 लाख की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हो चुकी है। तदनुरूप राज्य वन विकास अभिकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

❀ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए खम्भात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस विशाल नदी में बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा एक वृहद् सिंचाई परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होंगे।

नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्थान को 0.50 एम.ए.एफ. जल प्राप्त होगा। सरदार सरोवर बांध से मुख्य नहर के जरिये यह जल राजस्थान लाया जा रहा है। नर्मदा मुख्य नहर जालौर जिले के सांचोर तहसील के सीलू गांव में गुजरात राज्य से प्रवेश करती है। नर्मदा मुख्य नहर की राजस्थान में कुल लम्बाई 71.4 किमी. है जिसका 51 किमी. हिस्सा जालौर जिले में तथा शेष हिस्सा बाड़मेर जिले की सीमा में है। इस नहर में जल प्रवाह 2008 से प्रारम्भ हो गया है। उक्त परियोजना के मार्फत 1161 रो. किमी. मुख्य नहर पर तथा 2780 रो.किमी. वितरिकाओं पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

छाया सौजन्य : राजेश जैन

नर्मदा नहर वृक्षारोपण (जालौर)

आवंटित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1.	2007–08	90.00	20.57	नर्सरी तैयारी, वाहन क्रय, कम्प्यूटर क्रय
2.	2008–09	329.00	107.44	पौध तैयारी, वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य नर्सरी विकास
3.	2009–10	531.78	351.67	640.5 रो.किमी. में 128100 पौधों का वृक्षारोपण, नर्सरी विकास कार्य
4.	2010–11	377.19	193.37	विगत वृक्षारोपण का संधारण एवं 319.5 रो.किमी. में 63900 पौधों का वृक्षारोपण
5.	2011–12	738.17	158.82	विगत वृक्षारोपण का संधारण तथा 77 रो.किमी. में 15400 पौधों का वृक्षारोपण कार्य, वितरिका पर अग्रिम कार्य
6.	2012–13	936.37	263.64	विगत वृक्षारोपण का संधारण एवं वितरिका पर अग्रिम कार्य

इस प्रकार नर्मदा मुख्य नहर पर कुल 1037 रो.किमी. 2,07,400 पौधों का वृक्षारोपण तथा वितरिकाओं पर 200 रो.किमी. में 50,000 पौधों का वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2013–14 में 1037 रो.किमी. में मुख्य नहर तथा 200 रो.किमी. वितरिकाओं पर संधारण कार्य प्रगतिरत है।

❁ राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से 8 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं :

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

राष्ट्रीय बैम्बू मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में ₹ 58.49 लाख व्यय किये गये हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

राष्ट्रीय बांस मिशन की प्रगति (नवम्बर 2013 तक)

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आवंटित राशि वर्ष 2013–14	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	बांसवाड़ा	9.00	200	25.00	134	6.25
2.	डूंगरपुर	12.50	275	34.37	200	15.755
3.	प्रतापगढ़	12.50	250	33.98	151	9.77

4.	राजसमंद	9.00	200	25.00	250	8.88
5.	स. माधोपुर	2.00	50	6.25	0	0
6.	चित्तौड़गढ़	5.50	150	24.25	150	17.83
7.	बारां	4.50	0	0.00	0	0.00
	योग	**55.00**	**1125**	**148.85**	**885**	**58.49**

❁ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं :

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बॉक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण;
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्त्व की बेलों का बीजारोपण/ पौधारोपण;
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

मनरेगा में अब तक 35919 कार्य राशि ₹ 320287.35 लाख के कार्य प्रस्तावित किये गये थे उनमें से 17592 कार्य राशि ₹ 182837.46 लाख के स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2013–14 में 3739 कार्य राशि ₹ 26493.39 लाख के प्रस्तावित किये गये जिनमें से अब तक 1921 कार्य राशि ₹ 12902.18 के स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब तक इन कार्यों पर 4182964 मानव दिवस का रोजगार सृजित हो चुका है जिसमें से 2593632 मानव दिवस रोजगार का सृजन महिलाओं द्वारा किया गया है। कुल मानव दिवसों में से अनुसूचित जाति हेतु 896827 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 813312 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

❁ दीवार निर्माण

नरेगा में कराए जाने वाले कार्यों को स्थाई महत्त्व का बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में वन संरक्षण एवं ईको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत पक्की दीवारों के कार्य सम्मिलित करने के लिए सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देशित किया गया था। पक्की दीवार के निर्माण से न केवल वन सीमाओं की सुरक्षा ही होगी अपितु दीवारें वन भूमि पर विद्यमान वनस्पति के

पुनरुत्थान हेतु भी अतिआवश्यक है। अब तक 1972.11 कि.मी. दीवार निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है जिसमें से माह दिसम्बर, 2013 तक 962.50 कि.मी. निर्माण पूरा हो चुका है। यह उन क्षेत्रों में किया गया है जहां पर रूट स्टॉक मौजूद है। पक्की दीवार बनाने के पश्चात् अनुकूल परिणाम आये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

❁ गूग्गल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूग्गल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूग्गल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008–09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 679.00 लाख है।

● **नवीन परियोजना :–** विश्व में किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि फूलदार पौधों की 4,22,000 प्रजातियों में से 50,000 प्रजातियां औषधीय पादप हैं। इसी प्रकार देश में पाई जाने वाली 20,000 फूलदार प्रजातियों में से 3,000 औषधीय पादप हैं। प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली से ₹ 723.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे :–

संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ–साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि–आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

तृतीय किस्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 214.331 लाख आवंटित किये गये। कार्य प्रगति पर है।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं :–

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजा साल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पाडल, सूनाग, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, कौंच, कलिहारी, मालकांगनी, शिकाकाई, सिन्दूरी, सफेद मूसली, अलोयवेरा, करंज इत्यादि।

वर्ष 2012–13 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में दो नये प्रस्ताव नैशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमशः ₹ 574.53 लाख 1000 हैक्टेयर में कार्य एवं ₹ 344.71 लाख 650 हैक्टेयर में कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसमें वर्ष 2012–13 हेतु वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹ 229.81 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹ 137.88 लाख स्वीकृत की गई, जिसके विरुद्ध मय ब्याज राशि के क्रमशः ₹ 237.266 लाख तथा ₹ 138.2478 लाख व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2013–14 में द्वितीय किस्त के रूप में वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹ 163.584 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹ 101.69 लाख की राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा, वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर एवं वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ में तीन नए प्रोजेक्ट के प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड,

नई दिल्ली से क्रमश: ₹ 349.79 लाख 600 हैक्टेयर कार्य हेतु ₹ 294.78 लाख 500 हैक्टेयर कार्य तथा ₹ 304.62 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा हेतु ₹ 139.92 लाख वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर हेतु ₹ 117.91 लाख तथा वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ हेतु ₹ 121.85 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है।

इंदिरा गांधी परियोजना

इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण करवाये गये हैं। वृक्षारोपण कार्य मुख्यतया विश्राम गृह, हैड वर्क्स स्थल, स्कूल बिल्डिंग्स एवं गांवों के पास करवाये गये हैं। वृक्षारोपण में मुख्यतया नीम, पीपल एवं अन्य छायादार पेड़ रोपित किये गये हैं।

65 एम.डी. तहसील पूंगल में निर्मित जल कुण्ड

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पुनः वृक्षारोपण कार्यक्रम में दिसम्बर, 2013 तक किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण अग्रानुसार है :–

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 अन्तर्गत आर.डी. 250 पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं अस्थाई पौधशाला (जैसलमेर)

परियोजना क्षेत्र में चालू वर्ष में दिसम्बर, 2013 तक 7440.83 है. वृक्षारोपण नहर किनारे तथा 2777.5 है. आबादी/गंवाई ईंधन वृक्षारोपण किया गया है।

इ.गां.न.प. क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने एवं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होने की वजह से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करना आसान काम नहीं है तथापि अब तक 426 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित की जा चुकी हैं।

कृषि वानिकी :

नर्सरियों में स्थानीय निवासियों को अपनी कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए पौधे तैयार कर उपलब्ध करवाये जाते हैं। निजी व्यक्तियों के अलावा सरकारी कार्यालय परिसर, स्कूल परिसर आदि में पेड़ लगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाये जाते हैं। चालू वर्ष में दिसम्बर, 2013 तक 11.49 लाख के विरुद्ध 8.06 लाख पौधे वितरित किये जा चुके हैं।

विदोहन एवं पुन:वृक्षारोपण :

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये थे जो परिपक्व स्थिति में हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुन: वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुन: वृक्षारोपण किये गये कार्य का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000–01	265
2.	2001–02	518
3.	2002–03	821

4.	2003–04	984
5.	2004–05	1055
6.	2005–06	908
7.	2006–07	815
8.	2007–08	1045
9.	2008–09	436.83
10.	2009–10	445
11.	2010–11	376
12.	2011–12	701.50
13.	2012–13	1252
14.	2013–14 तक	508
	योग	**10130.33**

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वृक्षारोपणों के परिणाम उच्च कोटि के हैं।

❁ राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत राज्य की आनासागर (अजमेर), पुष्कर सरोवर (अजमेर), नक्की झील (माउण्ट आबू–सिरोही), पिछोला एवं फतेह सागर (उदयपुर) झीलों पर संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इन झीलों के आवाह क्षेत्र को उपचारित करने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इनमें से आनासागर व पुष्कर सरोवर के आवाह क्षेत्र के उपचार का कार्य वन मण्डल, अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। उपचार कार्यों में वृक्षारोपण, चैकडेम, गैबियन स्ट्रक्चर, पक्की दीवार निर्माण कार्य व झील के फ्रिंज एरिया में पौधा रोपण कार्य सम्मिलित है।

आनासागर झील के जल ग्रहण क्षेत्र में संशोधित लक्ष्यों के अनुसार 120 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर कार्य, 31 पक्के चैकडेम तथा 400 पौधे झील के किनारे लगाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 93.20 लाख का वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक50 हैक्टेयर में क्लोजर कार्य, 31 पक्के चैकडेम व 400 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। क्लोजर बनाने का शेष कार्य प्रगति पर है।

पुष्कर झील के आवाह क्षेत्र में नाग पहाड़ व कानस माकड़वाली वन खण्डों में ₹ 234.14 लाख व्यय किए जाकर 1805 रनिंग मीटर पक्की दीवार, 6000 रनिंग मीटर लूज स्टोन वाल/तार फैसिंग, 2511 घनमीटर चैकडेम तथा 630 हैक्टेयर क्षेत्र में 30,000 नोचिंग का कार्य, 170 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, पौधशाला का विकास, 235 हैक्टेयर क्षेत्र में टिब्बा स्थिरीकरण, 1000 रनिंग मीटर मार्ग वृक्षारोपण कार्य तथा 260 गैबियन स्ट्रक्चर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध मात्र 30 गैबियन स्ट्रक्चर बनने शेष हैं। इसके अतिरिक्त समस्त लक्ष्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

पिछोला एवं फतहसागर झील संरक्षण के लिये क्रमशः ₹ 84.75 करोड एवं ₹ 41.86 करोड की राशि स्वीकृत की गयी थी जिसमें से इन झीलों के जल ग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करने हेतु वन विभाग को पिछोला झील एवं फतहसागर झील हेतु क्रमश ₹ 8.05 करोड एवं ₹ 3.44 करोड स्वीकृत किये गये थे। उक्त कार्य वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ किये गये थे। इसके अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र में पडने वाले वन क्षेत्रों में वनारोपण एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना था ताकि वर्षा के समय झीलों में जो मिट्टी पानी के साथ आती है उसका मौके पर ही क्षरण रोका जाए। इस परियोजना में वनारोपण में बड़े पौधों को लगाने का नवाचार किया गया ताकि क्षेत्र शीघ्र वनाच्छादित हो जाए व मिट्टी का क्षरण रुके। इसके साथ ही जल संरक्षण हेतु पत्थर के चेकडेम्स, गेबियन स्ट्रक्चर्स एवं छोटे छोटे सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रक्चर्स बनाये गये हैं।

उक्त कार्य उदयपुर में स्थित तीन वन मण्डलों क्रमशः उदयपुर (उत्तर), उदयपुर एवं वन्य जीव, उदयपुर द्वारा सम्पादित कराया गया जिसके काफी उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं–

फतेहसागर झील :– फतेहसागर झील का जलग्रहण क्षेत्र करीब 30.60 वर्ग किलोमीटर है जिसमें मुख्यतः वन मण्डल उदयपुर (उत्तर) के थूर मगरा, पांडवा, नीमचमाता एवं तिखी चोटिया का 259 हेक्टर वन क्षेत्र इस परियोजना के अन्तर्गत उपचारित किया गया ताकि यहाँ की जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों की संख्या में भी वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त वन मण्डल वन्य जीव, उदयपुर का सज्जनगढ वनखण्ड भी उपचारित किया गया।

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	(₹ लाखों में)		
			वनीकरण	जल संरक्षण संरचनायें	योग
1	नीमचमाता (उदयपुर उत्तर)	54.00	17.74	31.79	49.53
2.	थूर मगरा (उदयपुर उत्तर)	77.00	25.29	34.98	60.27
3.	तिखीमय चोटिया (उदयपुर उत्तर)	60.00	19.71	44.49	64.20
4.	पांडवा (उदयपुर उत्तर)	68.00	22.34	42.74	65.08
5.	सज्जनगढ (वन्यजीव, उदयपुर)	220.00	34.62	17.25	51.87
	योग	**479.00**	**119.70**	**171.25**	**300.95**

पिछोला झील :– इस झील के जल ग्रहण क्षेत्र में वन मण्डल उदयपुर (उत्तर) के वनखण्ड करेल, उबेश्वरजी तथा पागा आते हैं जिसका करीब 300 हेक्टर वन क्षेत्र इस परियोजना के अन्तर्गत उपचारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन मण्डल उदयपुर एवं वन्य जीव वन मण्डल द्वारा क्रमश: 640 है. एवं 10 है. वन क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत उपचारित किया गया । इस परियोजना में महत्त्वपूर्ण बात यह रखी गयी है कि स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेषकर ध्यान दिया गया है तथा क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वनस्पति को तकनिकी रूप से उपचारित किया गया है।

झील संरक्षण परियोजना उदयपुर में आवाह क्षेत्र में नाले का उपचार (डी.एल.टी.) कार्य

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	(₹ लाखों में)		
			वनीकरण	जल संरक्षण संरचनायें	योग
1	उबेश्वर ए (उदयपुर उत्तर)	100	48.00	11.40	59.40
2.	उबेश्वर बी (उदयपुर उत्तर)	50	24.63	6.93	31.56
3.	उबेश्वर सी (उदयपुर उत्तर)	50	24.80	09.80	34.60
4.	उबेश्वर डी (उदयपुर उत्तर)	50	21.95	13.94	35.89
5.	पागा (उदयपुर उत्तर)	50	24.45	05.73	30.18
6	मोटा घाटा (उदयपुर)	150	61.50	22.85	84.35
7	हरणिया मय डाकल (उदयपुर)	140	62.45	23.19	85.64

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	(₹ लाखों में)		
			वनीकरण	जल संरक्षण संरचनायें	योग
8.	छोटा घाटा (उदयपुर)	100	39.60	28.56	68.16
9.	बांकी (उदयपुर)	100	31.26	0	31.26
10.	उन्दरी पोपल्टी (उदयपुर)	50	23.27	19.54	42.81
11	नादरा (उदयपुर)	50	22.77	0	22.77
12	सुखलिया (उदयपुर)	50	20.67	0	20.67
13	सज्जनगढ (वन्यजीव,उदयपुर)	10	6.57	4.50	11.07
	योग	**950**	**411.92**	**146.14**	**558.36**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास–बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहां घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) तथा लैन्टाना बड़े पैमाने पर उग आया। इससे इन बीड़ों से घास की उत्पादकता गिर गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास–बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास की प्रजातियां गायब हो गईं।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

क्षेत्र– इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही तथा जालोर में योजना अवधि में 10,000 हैक्टेयर तृण–भूमि उपचारित की जा रही है।

झील संरक्षण परियोजना उदयपुर में आवाह क्षेत्र में वृक्षारोपण

योजनान्तर्गत इस वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाम जिला	लक्ष्य					उपलब्धि				
		अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष	अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जोधपुर	0	0	0	240	850	0	0	0	240	850
2.	पाली	0	0	0	150	690	0	0	0	150	690
3.	जालौर	0	0	0	50	450	0	0	0	50	450
4.	जैसलमेर (डी.डी.पी.)	0	0	0	900	850	0	0	0	900	850
5.	सिरोही	0	95	379	116	0	0	95	379	116	0
6.	श्रीगंगानगर	0	0	0	700	700	0	0	0	700	700
7.	हनुमानगढ़	0	0	0	700	620	0	0	0	700	620
8.	डी.एन.पी. जैसलमेर	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
	योग	0	95	379	3356	4160	500	95	379	2856	4160
9.	अति.प्र.मु.स. भू.स.(नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख परियोजनाएं)							20000 है.	1440 संरचनाएं		

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 1680.73 लाख की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से मार्च, 2013 तक कुल ₹ 1590.19 लाख व्यय किए जा चुके थे। चालू वर्ष 2013-14 में इस योजना में ₹ 1200.00 लाख की राशि आवंटित की गई है जिसमें से माह दिसम्बर, 2013 तक ₹ 371.70 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार ने Biomass Gassifier Plant विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को दिया है। उन्हें इस हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए अब घास बीड़ों से विलायती बबूल का उन्मूलन नीलामी से न कर बिजली कम्पनियों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है जो बीड़ों से खड़े विलायती बबूल को यांत्रिक साधनों से उखाड़ेगा। ऐसी विलायती बबूल को इस वन उपज के बदले ₹ 720 प्रति टन सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे। विलायती बबूल उखाड़ने व परिवहन में लगी सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित कम्पनी को वहन करनी होगी। तत्पश्चात ऐसी घास बीड़ों पर चरागाह विकास रा.कृ.वि. योजना एवं अन्य योजना से ही किया जा सकता है।

❁ जे. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्मृति वन, जयपुर के संधारण के लिए प्राधिकरण से इस वर्ष ₹ 48.50 लाख उपलब्ध कराए हैं। राज्य सरकार द्वारा ₹ 25 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

छाया सौजन्य : करण सिंह

कुलिश स्मृति वन, जयपुर में ज्ञानार्जन करते स्कूली छात्र–छात्राएँ

❁ मेट्रो वृक्षारोपण

घाट की घुणी के समीप टोल प्लाजा के निकटवर्ती क्षेत्र खोनागोरियान–झालाना के पहाड़ों पर 5 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र बालू के टीबों के रूप में है जहां हवा के साथ मिट्टी उड़ती रहती है तथा सड़क व वाहनों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। अत: मूंजा रोपित कर टीबों को टैरेस बनाकर स्थायित्व देने, क्षेत्र में हरियाली विकसित करने के लिए सुन्दर पुष्प देने वाले

छाया : जगदीश गुप्ता

घाट की घूणी सुरंग के समीप उड़ते टीबों को रोकने के लिए मैट्रो वृक्षारोपण

तथा सदाबहार वृक्षों का रोपण किया गया है। इस हेतु वित्त मेट्रो कारपोरेशन ने उपलब्ध कराया है। यह परियोजना 5 वर्ष की तथा ₹ 29.00 लाख की लागत की है। इस वर्ष ₹ 16.45 लाख व्यय किए जाने हैं। पौधारोपण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि विभाग द्वारा जन सहयोग से बड़े पैमाने पर किए गए विकास कार्यों का ही परिणाम है कि वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2009 में बताए गए वनावरण के सापेक्ष वर्ष 2011 में राज्य के कुल वनावरण में 51 वर्ग किमी. की वृद्धि आकलित की गई है।

• अरण्य भवन निर्माण

वन विभाग का जयपुर स्थित मुख्यालय कृषि भवन एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्यालय के निकट वानिकी पथ पर वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था। मुख्यालय का भवन तत्समय मात्र 20 से 25 अधिकारियों के उपयोग हेतु ही निर्मित किया गया था। समय के साथ–साथ विभाग की जिम्मेदारियां व्यापक रूप से बढ़ी हैं तथा अधिकारियों एवं उनके सम्बन्धित कार्यालयों में भी वृद्धि हुई है। नवीन अरण्य भवन निर्माण का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में आरम्भ किया गया है। इस नये भवन की कुल लागत ₹ 34.5 करोड़ आयेगी। भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि कैम्पा फण्ड की राशि के ब्याज से पांच वर्ष में लौटाई जायेगी। भवन निर्माण कार्य आरएसआरडीसी, जयपुर के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा इस वर्ष ₹ 10.00 करोड़ व्यय किये जायेंगे।

5

मृदा एवं जल संरक्षण

नदी–घाटी परियोजनाएं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनाएं क्रमश: वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वैस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाड़ा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है। वर्ष 2012–13 तक कुल 325 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 603588 हैक्टेयर है जो राजस्थान में स्थित उपरोक्त नदियों के कुल जलग्रहण क्षेत्रफल 2496200 हैक्टेयर का 24 प्रतिशत है।

उद्देश्य :– इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अद्योतन (Degradation) को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृत्ति (Water Holding Capacity) को सुधारना आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
3. अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।
4. नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।
5. जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती कैचमेंट अन्तर्गत पिछले इन वर्षों के दौरान उपचारित भूमि में निर्मित संरचनाओं एवं व्यय राशि प्रपत्र संख्या 2 में संलग्न है। वर्ष 2012–13 में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती कैचमेंट में 13449 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित करने एवं 9187 संरचनाओं को निर्मित करने का कार्य अनुमोदित था इन कार्यों पर ₹ 2472.50 लाख व्यय करने थे, परन्तु वर्ष 2012–13 हेतु सिलिंग राशि ₹ 1500.00 लाख के विरुद्ध ₹ 1287.835 लाख की राशि आवंटित की गई जिसके विरुद्ध ₹ 1269.79 लाख की राशि व्यय कर 7980 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया तथा 4346 संरचनाओं का जलग्रहण क्षेत्रों में निर्माण किया गया। वर्ष 2013–14 से नदी घाटी परियोजना में जलग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करने

बनास परियोजना, टोंक में निर्मित जल संरक्षण संरचना

हेतु ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) को 2013–14 से 2017–18 तक के लिए 49156 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने हेतु ₹ 7373.41 लाख की कार्ययोजना भिजवाई गई है। चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत इस कार्ययोजना में कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं सिरोही जिले शामिल हैं। वर्ष 2013–14 हेतु राजस्थान कृषि विकास योजना द्वारा माह दिसम्बर, 2013 तक आवंटित 560.385 लाख रुपये की राशि द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों में 606 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है तथा 1179 संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका जिन पर ₹ 200.909 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।

इस परियोजना में चम्बल कैचमेंट का क्षेत्र नोन टी.एस.पी. एवं माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती का क्षेत्र टी.एस.पी. के अन्तर्गत आता है। वर्ष 2012–13 में भारत सरकार के निर्देशानुसार समितियों के कार्पस फण्ड में कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

वर्ष 2012–13 में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operational Guideline 2008) अनुसार पांच आन गोईंग वाटरशैड में से एक वाटरशैड में साद अध्ययन कार्य करवाया गया तथा संकलित साद डेटा का P.Q.S. (Rainfall (P) in M.M., Runoff (Q) in M.M., Sediment Yield (S) in Hectare Meter) डेटा भारत सरकार को भिजवाया गया। वर्ष 2013–14 में भी निर्देशिकानुसार जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षाकाल के समय साद अध्ययन का कार्य करवाया गया।

क्र.सं.	परियोजना	साद स्थलों की संख्या जिन पर साद अध्ययन करवाया गया	
		2012–13	2013–14
1.	चम्बल	4	3
2.	माही	5	4
3.	दांतीवाड़ा	1	1
4.	साबरमती	1	1
	योग	**11**	**9**

वर्ष 2012–13 में भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाएं जो क्रमश: चम्बल परियोजना अन्तर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अन्तर्गत प्रतापगढ़ में स्थापित की हुई है। जिनमें मौसम डेटा (Rain fall, Temperature Huminity, Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours, Weather report & Soil temperature.) संकलित कर भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र पूना भिजवाए गये।

छाया : महेशचन्द्र गुप्ता

जल संरक्षण हेतु निर्मित चैक डेम की श्रृंखला

नदी घाटी परियोजना मुख्यालय कोटा में स्थित है, जहां मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी. पदस्थापित हैं जिनके अधीन तीन मण्डल, बांसवाड़ा, बेगूं एवं आबू रोड कार्यरत हैं।

बाढ़ संभावित नदी परियोजनाएं

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास तथा लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैक्रो मैनेजमेंट मोड के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की आनुपातिक हिस्सा राशि क्रमश: 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में बनास नदी क्षेत्र में 8314 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 1650 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि ₹ 1201.15 लाख का व्यय किया गया। लूणी नदी में 2331 हैक्टेयर भू भाग का उपचार तथा 282 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि ₹ 250.97 लाख का व्यय किया गया।

बनास एवं लूणी परियोजनाओं में चालू वर्ष के लिए माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना के अन्तर्गत ₹ 1100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत 22 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाने हैं। जिनकी जलग्रहण परियोजना प्रतिवेदन (WPR's) तैयार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त प्रावधान से बनास एवं लूणी नदी परियोजना में कुल 22 उप जलग्रहण क्षेत्रों में 7334 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य कराया जाना है।

इन परियोजनाओं में माह नवम्बर, 2013 तक उपचारित जल ग्रहण क्षेत्र इस प्रकार हैं :–

नाम योजना	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	नवम्बर, 2013 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	
		हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या
एफपीआर बनास एवं लूणी नदी परियोजना	41	1876	261

सांभर नम भूमि संरक्षण योजनाएं

मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर के अधीन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पोषित सांभर नम भूमि संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत भू संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण के अभियांत्रिकी कार्य सम्पादित करवाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सांभर नम भूमि जो कि एक रामसर साइट है, इसको संरक्षित करना है। इस योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी कार्य इस प्रकार सम्पादित करवाये जाते हैं कि झील में वर्षा जल का प्रवाह बना रहे व उसके साथ जो क्षार का बहाव है, वह रोका जा सके जिससे झील की भराव क्षमता बनी रही है व क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। इस परियोजना पर गत वर्ष माह मार्च, 2013 तक 83 संरचनाओं का निर्माण कर 475 हैक्टेयर का उपचार कर 51.65 लाख रुपये राशि व्यय की गई। गत वर्ष की अवशेष राशि रुपये 10.33 लाख इस वर्ष आवंटित की गयी है। गत वर्ष के अवशेष कार्य पूर्ण करवाने की कार्यवाही जारी है।

नाबार्ड परियोन्तर्गत दौसा जिले में निर्मित जल संरक्षण सरंचना छाया : महेशचन्द्र गुप्ता

6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत विकास कार्यों के उत्कृष्ट सुपरिणाम प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर वानिकी कार्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है ताकि उन क्षेत्रों व दशाओं का विभाग को पता चल सके जिनमें कार्य काफी अच्छा हो रहा है तथा जिन स्थानों पर कार्यों में सुधार व उत्कृष्टता समाहित करने की कम अथवा अधिक गुंजाइश है। वन विभाग के कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करना विभाग की प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा का मूल उद्देश्य है।

मूल्यांकन कार्य हेतु उचित मार्गदर्शन देते अति. प्र. मु. व. स., एम. एण्ड ई.

विभाग द्वारा वन विकास कार्यों में गुणात्मक सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं, जिससे विभागीय कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार हुआ है तथा इन प्रयासों के जरिए भविष्य में भी विभागीय कार्यों में निखार आएगा :

- वृक्षारोपण क्षेत्रों को 2 से 5 हैक्टेयर क्षेत्र के उपखण्डों में विभक्त करना एवं उपखण्डवार किये गये कार्यों की नपती करना।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर संशोधित पौधारोपण कार्ड जिसमें कार्य स्थल का उपचार नक्शा एवं उपखण्डवार किये गये कार्यों का विवरण दर्ज किया जाता है, का अवलोकन एवं उस पर सम्बन्धित उप वन संरक्षक/उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) की टिप्पणी।
- पौधारोपण साइट पर साइन बोर्ड जिस पर एक तरफ पौधारोपण स्थल का उपचार नक्शा एवं दूसरी तरफ किये गये कार्य का पूर्ण विवरण अंकित किया जाता है, का अवलोकन एवं उसके बारे में सम्बन्धित उप वन संरक्षक/उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) की टिप्पणी।
- लूज स्टोन वाल फैसिंग (सूखे पत्थरों द्वारा चुनाई गई बाड़) को ढहाकर प्रवेश न कराया जाये, जिससे पौधारोपण सुरक्षित रहे। कांटेदार तारों को ऊंचा करके उसमें से प्रवेश न कराया जाये, ताकि किसी प्रकार की क्षति वृक्षारोपण क्षेत्र में न हो। इस हेतु लोहे का प्रवेश द्वार बनाया जाना सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण कार्यों व वन क्षेत्रों की प्रभावी बाड़बंदी सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण कार्यों की सुरक्षार्थ तथा कैटलगार्ड्स व चौकीदारों हेतु कैटलगार्ड हट्स का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण स्थलों पर विद्यमान मूल्यवान स्थानीय प्रजातियों के पौधों जैसे गूगल, खिरनी, छीला, तेन्दू, खेजड़ी, रोहिड़ा,

जाल, धोंक आदि के पौधों व रूट स्टॉक को उपचारित करवाना, उनके लिए थांवले बनवाकर अथवा उनके समीप ट्रेंचे खुदवाकर वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

- रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधारोपण में इजरायली बबूल आदि के साथ लगभग 40 प्रतिशत तक खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, बेर, फोग का समावेश करवाना।
- अन्य क्षेत्रों में भी लगभग 40 प्रतिशत तक स्थानीय उपयोगी प्रजातियों जैसे खैर, खिरनी, कदम्ब, कडाया, धोंक, गुर्जन, गूगल, बांस, महुआ आदि का पौधारोपण कार्यों में समावेश करवाना।
- पौधारोपण में तकनीकी कार्यों के लिए मॉडल में राशि प्रावधानानुसार व नियमानुसार औजारों की व्यवस्था व उनका उपयोग सुनिश्चित करवाना।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न मॉडल तैयार करते समय विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं कि 'मॉडल एक मार्गदर्शक है' (model is a guideline) इसलिए कार्यस्थल की मांग के अनुरूप तकनीकी अनुमान बनाकर तथा स्वीकृत करवाकर तदनुरूप मौके पर विकास कार्य करवाये जाते हैं। इसका आशय यह है कि मॉडल में आवंटित राशि की सीमा में रहकर 'साइट स्पेसिफिक नीड बेस्ड' कार्य कराया जा सकता है। उदाहरणार्थ – जहां पर प्राकृतिक रूट स्टॉक एवं छोट–छोटे प्राकृतिक पौधों की ग्रोथ आ रही है, उनको उपचारित कर उनके लिए वर्षा जल संरक्षणार्थ संरचनाएं जैसे थांवले एवं ट्रेंचेज आदि बनाकर इन कार्यों पर भी राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है। इससे वृक्षारोपण कार्यों में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा और वृक्षारोपण की सफलता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस आशय के निर्देश वक्त निरीक्षण मौके पर भी दिये जाते हैं।

इन कार्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार) के अधीन एक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) पदस्थापित है। इनकी सहायतार्थ एक वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन) एवं एक प्रावैधिक सहायक एवं उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न पौधारोपण कार्यों के समय–समय पर मूल्यांकन हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयां सृजित हैं। सभी मूल्यांकन इकाइयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। राज्य में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की व्यवस्था होने के साथ ही प्रत्येक संभाग में प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यों को अंजाम देने के लिए संभागीय मुख्यालय पर एक–एक उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में सात इकाइयां कार्य कर रही हैं। इन इकाइयों का प्रभार राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के पास है।

समस्त उप वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं।

मूल्यांकन इकाइयों के कार्य

संभाग स्तर पर सृजित इकाइयों द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर सम्पादित सभी कार्यों का शत प्रतिशत/सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य कराया जाता है।

चयनित अग्रिम कार्यों का मूल्यांकन भी शुरू किया गया है ताकि अग्रिम कार्यों की गुणवत्ता को पौधारोपण से पूर्व सुनिश्चित किया जा सके ताकि शुरुआती दौर में ही कमियां दूर करवाई जा सके।

मूल्यांकन ईकाइयों द्वारा चयनित पौधशालाओं का मूल्यांकन भी शुरू किया गया ताकि पौधारोपण के लिए उपयोगी स्थानीय प्रजातियों के पौधे भी तैयार करवाए जावें, साथ ही पौध वितरण हेतु उन्नत किस्म की प्रजातियों की पौध तैयार की जा सके।

विभिन्न मूल्यांकन दलों द्वारा सम्पादित किये गये वानिकी विकास कार्यों की वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिसम्बर, 2013 की मूल्यांकन स्थिति संभागवार अग्रांकित है–

मूल्यांकन कार्य की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2012–13)

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या						
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउंड्री पिलर्स, वाच टॉवर्स आदि)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर		3	16	13	4	–	36
2.	कोटा	6	3	1	–	–	–	10
3.	उदयपुर	1	–	5	2	–	–	8
4.	जोधपुर	–	2	26	6	–	–	34
5.	भरतपुर	12	4	11	3	4	14	48
6.	बीकानेर	–	18	26	16	0	11	71
7.	अजमेर	8	10	14	17	3	4	56
	योग राजस्थान	**27**	**40**	**99**	**57**	**11**	**29**	**263**

वर्ष 2013–14 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संभागवार मूल्यांकन लक्ष्य एवं उपलब्धि (माह दिसम्बर, 2013) की स्थिति

क्र.सं.	नाम संभाग	कैम्पा		आर.एफ.बी.पी.		नाबार्ड		अन्य योजनाएं		कुल	
		लक्ष्य	किये गये	लक्ष्य	किये गये	लक्ष्य	किये गये	लक्ष्य	किये गये	लक्ष्य	किये गये
1.	जयपुर	20	12	7	2	16	16	0	0	43	30
2.	कोटा	14	14	0	0	5	5	0	0	19	19
3.	उदयपुर	21	18	2	2	41	40	0	0	64	60
4.	जोधपुर	28	27	0	0	3	2	0	0	31	29
5.	भरतपुर	3	3	0	0	18	18	0	0	21	21
6.	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	57	22	57	22
7.	अजमेर	14	14	7	1	9	9	26	26	56	50
	योग	**100**	**88**	**16**	**5**	**92**	**90**	**83**	**48**	**291**	**231**

कार्यों के मूल्यांकन हेतु एक 33 कॉलम का प्रपत्र तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) व वर्तमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) द्वारा अनुमोदित करवाकर जारी किया गया है जिनका साइटवार मूल्यांकन कर संभाग स्तर पर नियुक्त प्रत्येक उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) द्वारा टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक है जिससे पौधारोपण कार्य की गुणवत्ता का बेहतर आकलन हो सके।

मूल्यांकन इकाइयों द्वारा जिन वन मण्डलों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, उनका मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जाकर कार्यस्थलों में पाई गई कमियों के बारे में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर प्रतियां पालनार्थ सम्बन्धित उप वन संरक्षक व उप वन संरक्षक, पी. एण्ड एम. को दी जाती है।

मूल्यांकन कार्यों के दौरान चयनित स्थलों का मूल्यांकन निष्पक्ष व सही हो इस दृष्टि से राजस्थान के विभिन्न वन मण्डलों में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन), वन विभाग द्वारा दौरे किये जाते हैं। प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा को अधिकारियों के दौरे, रात्रि विश्राम आदि की मॉनिटरिंग का कार्य भी दिया हुआ है। इस कार्य को मुख्यत: वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन) अंजाम देते हैं।

इसी प्रकार विभागीय कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों यह सुनिश्चित करने व करवाने हेतु न केवल विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते हैं अपितु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई. द्वारा भी निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में सुधार हेतु ऊपरांकित वर्णनानुसार विस्तृत समझाइश की जाती है तथा गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से निरीक्षण प्रतिवेदन भी सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक (पी. एण्ड एम.) को पालना करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु भेजे जाते हैं।

वृक्षारोपण रोहिड़ा (दौसा) में उपखण्ड निर्माण का प्रदर्शन

वृक्षारोपण भुराड़ी नाबार्ड (अलवर) में चैक डेम एवं पत्थर की दीवार का नपती कार्य करते मूल्यांकन दल के कर्मचारी

7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 10 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9656.7682 वर्ग कि.मी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट–6 पर द्रष्टव्य है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस तनाव एवं

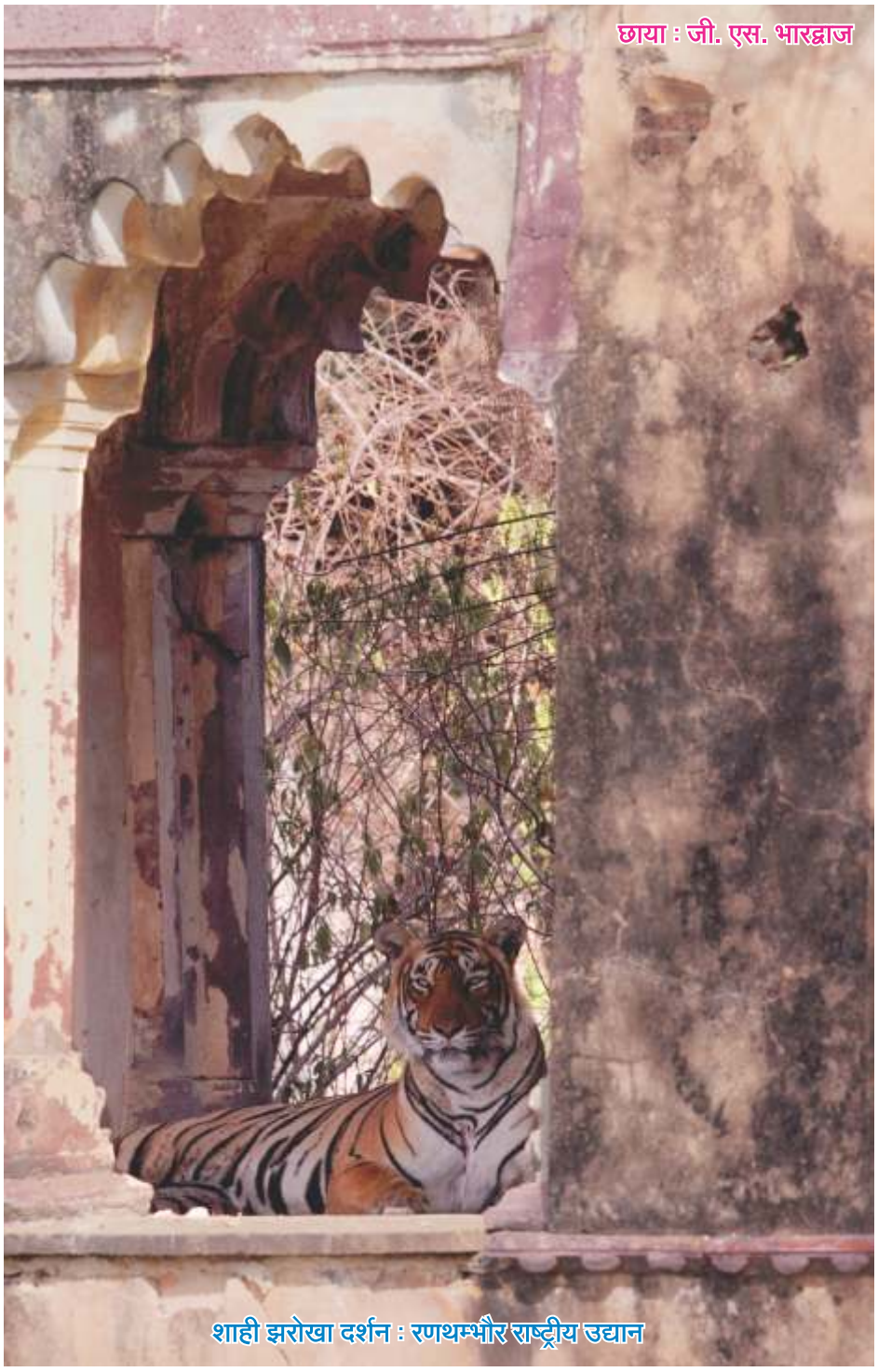

छाया : जी. एस. भारद्वाज

शाही झरोखा दर्शन : रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **वार्षिक योजनाएं :** राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, तेरहवें वित्त आयोग में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सभी अभयारण्यों की वार्षिक योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।
2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 3. अभेड़ा जैविक उद्यान एवं 4. नाहरगढ़ जैविक उद्यान चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जावेंगे।

वर्ष 2013–14 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट अनुमानों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत ₹ 3136.67 लाख का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में ₹ 1991.10 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2013–14 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत रणथम्भौर में ग्राम विस्थापन हेतु राशि ₹ 1459.290 लाख तथा सरिस्का में ग्राम विस्थापन हेतु ₹ 452.037 लाख के गत वर्ष के शेष को इस वर्ष व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
2. वर्ष 2013–14 के दौरान 15 वन्य जीव अभयारण्यों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबीटाट डवलपमेंट, वाटर पॉइन्ट्स, फायर लाइन्स, दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में ₹ 487.55 लाख की वार्षिक कार्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त उक्त योजना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 39.54 लाख तथा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर के लिए ₹ 43.79 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य प्रगति पर है।

चिड़ियाघर

3. राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा चिड़ियाघरों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान में विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर एवं ले–आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है।

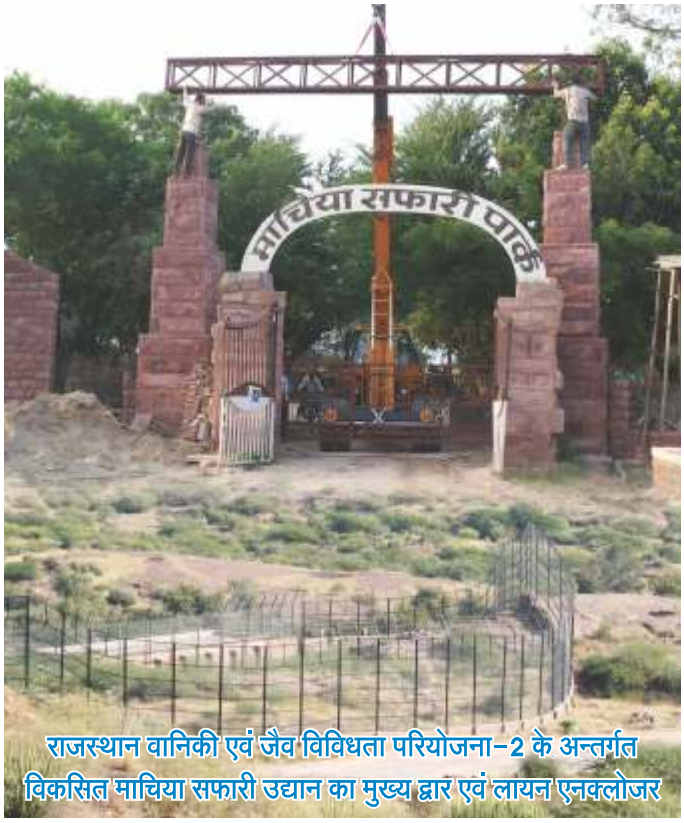

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–2 के अन्तर्गत विकसित माचिया सफारी उद्यान का मुख्य द्वार एवं लायन एनक्लोजर

4. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के विकास हेतु वर्ष 2012–13 तक ₹ 8.44 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं । वर्ष 2013–14 के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में ₹ 5.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। कार्य प्रगति पर है।

5. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर) के विकास हेतु वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 5.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

6. माचिया बायोलोजिकल पार्क के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में ₹ 20.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इस पार्क के विकास हेतु वर्ष 2012–13 तक ₹ 14.25 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं एवं वर्ष 2013–14 में ₹ 9.00 करोड़ का प्रावधान है। शेष राशि आगामी वर्षों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के तहत उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाईन के अनुसार परियोजना की संशोधित लागत ₹ 32.30 करोड़ आंकी गई है।

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व

7. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है, इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु लगाये जाने हैं। इनकी भर्ती की प्रक्रिया पुलिस विभाग में प्रक्रियाधीन है। सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किए गए हैं।

छाया : पी. सी. जैन

किंगफिशर

8. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा चार वर्ष के अन्तराल से कराई गई नवीनतम गणना वर्ष 2010 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 30–32 बाघ पाये गये हैं।

10. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 28 गांव हैं। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में तथा उमरी को वर्ष 2011 में तथा रोटक्याला को वर्ष 2012–13 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2013 की स्थिति अनुसार ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:–

सरिस्का टाईगर रिजर्व : माह दिसम्बर, 2013 (वर्ष 2013–14) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	डाबली	126	108	18
2.	सुकोला	46	12	34
3.	क्रास्का	200	66	134
4.	देवरी	181	49	132
5.	कांकवाड़ी	170	132	38
6.	हरिपुरा	74	05	69
	योग	**797**	**372**	**425**

शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2013–14 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 452.037 लाख भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि को उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 64 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से माह मार्च, 2009 में ग्राम इण्डाला को तथा वर्ष 2011–12 में ग्राम पादड़ा, वर्ष 2012–13 में माचनकी तथा वर्ष 2013–14 में मोर डूंगरी को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है :–

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व : माह दिसम्बर, 2013 (वर्ष 2013–14) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	कालीभाट	47	32	15
2.	भिड	164	118	46
3.	कठूली	151	127	24
4.	हिन्दवाड़	575	330	245
5.	भीमपुरा (कैलादेवी)	102	74	28
6.	डंगरा (कैलादेवी)	83	47	36
7.	ऊंची गुवाड़ी (कैलादेवी)	143	112	31
	योग	**1265**	**840**	**425**

वर्ष 2013–14 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1459.290 लाख गत वर्ष की अवशेष राशि को उपयोग करने की स्वीकृति जारी की गई है।

12. **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना :** राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ

संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है। फाउंडेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी। रणथम्भौर फाउण्डेशन में वर्ष 2012-13 में ₹ 3.77 करोड़ एवं सरिस्का में वर्ष 2012-13 में ₹ 44.19 लाख एवं वर्ष 2013-14 में ₹ 56.78 लाख कुल ₹ 1.01 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग वार्षिक योजना के अनुसार किया जा रहा है।

13. **टाईगर रिजर्व क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं :** राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर, सरिस्का, सवाई मानसिंह एवं कैलादेवी अभयारण्यों में वन्य जीवों विशेषत: बाघ हेतु पानी की समस्या के निराकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 36 वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। इन परियोजनाओं हेतु वर्ष 2013-14 में संशोधित बजट अनुमानों में ₹ 1.91 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है।

14. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से अब तक दो बाघ एवं पांच बाघिनों को सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया है। बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में ट्रांसलोकेशन के पश्चात् एक बाघिन ने दो शावकों को भी जन्म दिया है।

15. सरिस्का एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का राजपत्र दिनांक 6.7.2012 द्वारा प्रकाशन किया जा चुका है। सरिस्का हेतु 332.22 वर्ग कि.मी. तथा रणथम्भौर हेतु 297.9365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

16. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.1.2009 से राशि ₹ 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। योजना आयोग, भारत सरकार से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.76 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसके विरुद्ध ₹ 50.76 करोड़ की राशि वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत गोवर्धन ड्रेन से भूमिगत पाइप लाइन बिछाकर पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मौजूद झीलों तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 29.9.2012 से पानी की आवक प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त चम्बल-धौलपुर पेयजल परियोजना से 62.5 एम.सी.एफ.टी. एवं पांचना डेम से भी पानी की सप्लाई आवश्यकतानुसार की जाएगी।

17. **कन्जर्वेशन रिजर्व :** प्रदेश में 10 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट सं. 6 पर दर्ज है।

18. **ईको–ट्यूरिज्म :** राज्य में ईको–ट्यूरिज्म के क्षेत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 266.19 लाख की परियोजना, माउंट आबू (सालगांव) के लिए ₹ 231.05 लाख, कुम्भलगढ़–टॉडगढ़ रावली– रणकपुर सर्किट के लिए ₹ 594.55 लाख एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ₹ 434.86 लाख की परियोजना केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत ईको–ट्यूरिज्म साइट्स मीनाल (₹ 48.50 लाख) एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) (₹ 80.00 लाख), बस्सी (₹ 77.00 लाख) एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़) (₹ 93.00 लाख), पंचकुण्ड (अजमेर) (₹ 82.00 लाख), सुन्धामाता (जालौर) (₹ 95.00 लाख) एवं गुढ़ा विश्नोई (जोधपुर) (₹ 28.30 लाख) मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान (₹ 84.00 लाख), भैंसरोडगढ़ (₹ 32.00 लाख), सागर (नाहरगढ़) (₹ 117.00 लाख), हवा ओदी (₹ 75.00 लाख), जमुवाघाट (₹ 31.00 लाख), हर्ष पर्वत (₹ 100.00 लाख) एवं सोरसन (₹ 9.00 लाख) की स्वीकृत कराई गई हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान इन परियोजना के लिए ₹ 240.00 लाख व्यय किये जायेंगे।

19. राज्य सरकार द्वारा वर्ष फरवरी, 2012 से फरवरी, 2013 के दौरान शाकम्भरी, बीड़–झुंझुनूं, गोगेलाव, उम्मेदगंज, रोटू एवं जवाई बांध क्षेत्र की लेपर्ड कन्जरवेंसी को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जीणमाता, मनसा माता, झालाना, ग्रास फार्म एवं सोरसन क्षेत्रों को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

20. वर्ष 2011–12 के दौरान कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

जयसंमद अभयारण्य में विकसित ईको–ट्यूरिज्म साईट

घोषित (30.11.2011) किये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की गई। इसी प्रकार मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम अधिसूचना जनवरी, 2012 में जारी की गई।

21. राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन हेतु सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन आदेश दिनांक 28.5.2012 द्वारा किया गया।

22. सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर ईको–सेन्सिटिव जोन के प्रस्ताव भारत सरकार दिनांक 27.08.2012 को प्रेषित किये गये।

23. तालछापर अभयारण्य में हिरणों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उसकी समीपस्थ 1258 हैक्टेयर भूमि अभयारण्य के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये गये।

24. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र दिनांक 09.04.2013 के द्वारा मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कोर एवं बफर) घोषित किया गया है।

25. प्रदेश में गोड़ावण संरक्षण के लिए एक State Action Plan तैयार किया गया है जिसकी लागत ₹ 59.86 करोड़ है। इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए 'Project Bustard' लांच किया गया है जिसकी लागत ₹ 12.90 करोड़ है। वर्ष 2013–14 में ₹ 1.06 करोड़ व्यय किए जाऐंगे।

रेड स्नेक का जोड़ा; यह प्रजाति जहरीली नहीं होती किन्तु चूहे आदि (रोडेन्ट्स) की संख्या नियंत्रित करती है

Mangoose

राजस्थान के मुख्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला रॉयल स्नेक (Royal Snake)

Female Garden Lizard (*Colotes versicolor*)

8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) वन मण्डलों की कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त सम्बन्धित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण।

(स) कार्यालय सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिनका पृथक से कोई कार्यालय नहीं है जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त में पदस्थापित है।

कार्य आयोजना :– वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

वर्तमान में सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमश: उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर

छाया : जी. एस. भारद्वाज

तालछापर में जंगली लोमड़ी

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

जंगली केला *(Ensete superbum)* राज्य के केवल 2 अभयारण्यों कुम्भलगढ़ एवं फुलवारी की नाल में पाया जाता है

में स्थाई रूप से स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.10.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में पदस्थापित वन संरक्षकगण को वन संरक्षक, कार्य आयोजना घोषित किया है।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोड़कर) के प्रबंधन हेतु 31 कार्य आयोजनाएं तैयार कराई जा चुकी हैं। तैयार की गई कार्य आयोजनाओं की सूची इस प्रकार है:–

क्र.सं.	नाम कार्य आयोजना	कार्य आयोजना में सम्मिलित वन मण्डल का नाम	कार्य आयोजना की अवधि
1.	अजमेर	1. अजमेर	2012–13 से 2021–22
2.	भीलवाड़ा	2. भीलवाड़ा	2012–13 से 2021–22
3.	नागौर	3. नागौर	2013–14 से 2022–23
4.	टोंक	4. टोंक	2012–13 से 2021–22
5.	इ.गा.न.प. बीकानेर स्टेज– I	5. बीकानेर 6. छत्तरगढ़ 7. हनुमानगढ़ 8. श्रीगंगानगर	2011–12 से 2020–21
6.	इं.गा.न.प. बीकानेर स्टेज– II	9. स्टेज– I 10. स्टेज– II 11. ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़, जैसलमेर 12. विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर	2009–10 से 2018–19
7.	चूरू	13. चूरू	2011–12 से 2020–21
8.	भरतपुर	14. भरतपुर	2012–13 से 2021–22
9.	धौलपुर	15. धौलपुर	2012–13 से 2021–22
10.	करौली	16. करौली	2012–13 से 2021–22
11.	सवाईमाधोपुर	17. सवाईमाधोपुर	2012–13 से 2021–22
12.	बारां	18. बारां	2013–14 से 2022–23
13.	बूंदी	19 बूंदी	2013–14 से 2022–23
14.	झालावाड़	20. झालावाड़	2013–14 से 2022–23
15.	कोटा	21. कोटा	2012–13 से 2021–22
16.	जयपुर	22. जयपुर (उ.) 23. जयपुर (द.) 24. जयपुर (म.)	2012–13 से 2021–22
17.	अलवर	25. अलवर	2012–13 से 2021–22

18.	सीकर	26. सीकर	2012–13 से 2021–22
19.	दौसा	27. दौसा	2011–12 से 2020–21
20.	झुंझुनूं	28. झुंझुनूं	2012–13 से 2021–22
21.	जालौर	29. जालौर	2013–14 से 2022–23
22.	सिरोही	30. सिरोही	2012–13 से 2021–22
23.	जैसलमेर	31. जैसलमेर	2013–14 से 2022–23
24.	बाड़मेर	32. बाड़मेर	2013–14 से 2022–23
25.	जोधपुर	33. जोधपुर	2013–14 से 2022–23
26.	पाली	34. पाली	2012–13 से 2021–22
27.	उदयपुर	35. उदयपुर (म.) 36. उदयपुर (द.) 37. उदयपुर (उ.)	2009–10 से 2018–19
28.	बांसवाड़ा	38. बांसवाड़ा 39. प्रतापगढ़ (पार्ट)	2008–09 से 2017–18
29.	चित्तौड़गढ़	40. चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़ (पार्ट)	2008–09 से 2017–18
30.	डूंगरपुर	41. डूंगरपुर	2012–13 से 2021–22
31.	राजसमंद	42. राजसमंद	2011–12 से 2020–21

उक्त में से इ.गा.न.परि. बीकानेर स्टेज I, इ.गा.न.परि. बीकानेर स्टेज II, चूरू, जयपुर, दौसा, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की कार्य योजनाएं पूर्णकालिक अवधि के लिए तथा अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर एवं राजसमंद की कार्य योजनाएं अंशकालिक अवधि के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं।

वन बन्दोबस्त : वन विभाग के नियंत्रण अधीन वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद किया जाता है। वन भूमि राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाता है। साथ ही वन सीमाओं पर मिनारे बनाकर क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन : किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 की

प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित वन क्षेत्रों की स्थिति 31–3–2013 के अनुसार निम्नानुसार है :–

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)
26008.626	3954.456

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद : वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति इस प्रकार है :–

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अमलदरामद से शेष वन भूमि (हैक्टेयर में)
3274448.7867	2786947.2345	487501.5522
प्रतिशत	85.11	14.89

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुच्छेद–3) की राज आज्ञा क्रमांक प.6(35) प्र.सु. अनुदेश–3/99 दिनांक 31.8.99 से वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप वन संरक्षक (नोडल अधिकारी) थे। समिति का कार्यकाल राज आज्ञा दिनांक 01.05.2013 से 31.12.2015 तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2012–13 में माह 2911.207 हैक्टेयर वन भूमि का अमलदरामद हुआ है। अमलदरामद से शेष वन भूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क्र.सं.	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	294054.8940
2.	राजस्व रिकार्ड में चरागाह	12184.0190
3.	राजस्व रिकार्ड में आवंटन	24009.247
4.	राजस्व रिकार्ड में खातेदारी	18852.9915
5.	राजस्व रिकार्ड में आबादी	4814.5420
6.	राजस्व रिकार्ड में इंटिरियर लाइन	11571.1270
7.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	31568.2697
8.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद/कारण	90446.4620
	योग	**487501.5522**

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामान्तरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग के परिपत्र 29.2.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का कार्य जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक से सम्पन्न करवाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। दिनांक 31.12.2015 तक बढ़ाये गये समिति के कार्यकाल के आदेश की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की गई है। वन भूमि के अमलदरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वन मण्डल का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाकर सम्भाग स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं।

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2012–13 में अग्रांकित मिनारें (सीमा स्तम्भ) लगाये गये:–

छाया : डॉ. राकेश कुमार शर्मा

औषधीय वृक्ष अमलतास *(Cassia Fistula)* में पुष्पन

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये गये सीमा स्तम्भ
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	1000
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	1170
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	1050
4.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	194
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	428
6.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1834
7.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1633
8.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उदयपुर	446
9.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, जयपुर	350
10.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, कोटा	460
11.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, भरतपुर	550
	योग	**9115**

राज्य में वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2013 की स्थिति)

वन बंदोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.3.05 की स्थिति)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके हैं (31.3.2013 तक)	सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं
2,83,943	78797	205146
प्रतिशत	27.75	72.25

ताल छापर अभयारण्य, चूरू

इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में 8200 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षकगण को आवंटित है, जो प्रगति पर है।

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	800
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	600
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	800
4.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1500
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	800
6.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	900
7.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	300
8.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर	400
9.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जोधपुर	250
10.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर	500
11.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा	1000
12.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, भरतपुर	350
	योग	**8200**

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार आवंटन के विरुद्ध उपलब्धि निम्नानुसार हुई :

क्र.सं.	सर्वे कार्य का नाम	लक्ष्य		प्राप्ति	
		भौतिक (वर्ग कि.मी.)	वित्तीय (₹ लाखों में)	भौतिक (वर्ग कि.मी.)	वित्तीय (₹ लाखों में)
1.	प्रारम्भिक सर्वे	150	6.00	107.5575	2.73115
2.	प्लेन टेबल सर्वे	100	8.60	101.50	8.114

9

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा (जयपुर), विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी (उदयपुर) केन्द्र कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी हैं।

Vegetative propagation of *Psidium guajava* and *Punica granatum*.

पौधशालाएं :– विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। वर्ष 2012–13 में 4.25 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 3.74 लाख पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2013–14 में 2.25 लाख लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2013 तक 3.016 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 में विभिन्न नर्सरियों के लिए 2.65 लाख पौधे तैयारी करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसकी पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इस कार्यालय के अधीन पौधशालाओं में इस वर्ष टेबुविया ओरिया, अकरकरा, कदम्ब, तनसा, मुन्जाल, टेबुबिया रोजिया, अलमण्डा, आकाशनीम, श्योनाक, कैथ, काईजेलिया, कल्पवृक्ष व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे भी वितरण के लिए तैयार किये जा रहे हैं।

तकनीकी बुलेटिन :– वन वर्धन कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 में एक तकनीकी बुलेटिन कंकेड़ा *(Maytenus emarginata)* पर जारी किया गया। इस बुलेटिन में कंकेड़ा के बारे में समस्त जानकारियों का समावेश किया गया है। बुलेटिन में इस कार्यालय द्वारा कंकेड़ा पर किये गये प्रयोग व उनके परिणामों का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2013–14 में एक तकनीकी बुलेटिन तनस *(Ougeinia oojeinensis)* पर जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

गूगल :– विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान एवं ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में गूगल Orchard का संधारण किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर में गूगल का जिवितता प्रतिशत 90 तथा ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में जिवितता 80 प्रतिशत से अधिक है।

औषधीय पौधे :– बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर की पौधशाला में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों को तैयार कर वन विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु एवं आमजन को वितरित करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2012–13 में 10,000 औषधीय पौधे लगभग 43 विभिन्न प्रजातियों के तैयार किये जाकर इनका वितरण वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया है। मुख्य प्रजातियां जिनके पौधे तैयार किये गये वे निम्न प्रकार हैं–

अकोल *(Alangium salvifolium)*, इन्द्रोक *(Anogeissus sericea)*, ब्राह्मी *(Bacopa monnieri)*, अडुसा *(Adhatoda vasica)*, चित्रक *(Plumbago zeylanica)*, कैत *(Limonia acidissima)*, गूंदी *(Cordia rothii)*, दमा बेल *(Tylophora asthmatica)*, अश्वगंधा *(Withania somnifera)*, अरीठा

(Sapindus emarginatus), अकरकरा *(Acmella oleracea)*, सिन्दूरी *(Bixa orellana)*, हडजोड *(Cissus quadrangularis)*, विष तेंदू *(Diospyros montana)*, तनस *(Ougeinia oojeinensis)*, हिंगोठ *(Balanites aegyptica)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, गूगल *(Commiphora wightii)*, बहेड़ा *(Terminalia bellirica)*, मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)*, सर्पगंधा *(Rauwolfia serpentina)*, जमालगोटा *(Jatropha gossypifolia)*, पीपलामूल *(Peperomia pellucida)*, तुलसी *(Ocimum sanctum)*, काला धतूरा *(Datura ferox)*, शतावरी *(Asparagus racemosus)*, शिकाकाई *(Acacia sinuata)*, पत्थर चट्टा *(Bryophyllum pinnatum)*, गुडमार *(Gymnema sylvestre)* प्रमुख है। वर्ष 2013–14 में भी 10000 विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे बांकी अनुसंधान फार्म में तैयार किये जा रहे हैं।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed production Area) : अच्छी किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का

Providing significant and precious suggestions in RAG meeting

विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वन वर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। वर्ष 1012–13 में निम्न नये वन क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता (Phenotypically superior) के वृक्ष होने के कारण बीज उत्पादन क्षेत्र घोषित किया है:–

S.No.	Name of SPA	Area (Ha.)	Species	Division	Year of creation
1.	Forest Block Dausa Pahar, Range Dausa	50	*Acacia senegal*	Dausa	2012-13
2.	OECF Mohangarh, 1440-45 RD main canal	2	*Tecomella undulata*	Jaisalmer	2012-13
3.	OECF Mohangarh, 15-16 RD Sahid Birbal Shakha	3	*Tecomella undulata*	Jaisalmer	2012-13
4.	Forest Block Raydari, Range Ogna	100	*Pongamia pinnata*	Udaipur	2012-13
5.	Forest Block Ogna, Sankhla, Range Ogna	200	*Wrightia tinctoria*	Udaipur	2012-13
6.	Oda Plantation, Range Sarada	50	*Acacia senegal*	Udaipur	2012-13
7.	Guneshawar Mahadev plantation, Range Sarada	300	*Acacia senegal*	Udaipur	2012-13
8.	Gawdapal, Salumber Ist plantation, Range Salumber	50	*Acacia catechu*	Udaipur	2012-13
9.	Gawdapal, Salumber IInd plantation, Range Salumber	50	*Acacia catechu*	Udaipur	2012-13
10.	Gawdapal, Salumber IIIrd plantation, Range Salumber	50	*Acacia catechu*	Udaipur	2012-13

वर्ष 2013–14 में विभिन्न प्रजातियों के बीज उत्पादक क्षेत्रों को घोषित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

बीज एकत्रीकरण :– वर्ष 2012–13 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से कुमठा *(Acacia senegal)* का 2590 किलो, इजरायली बबूल *(Acacia tortilis)* का 1270 किलो तथा खैर *(Acacia catechu)* का 300 किलो बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2013–14 में कुमठा *(Acacia senegal)*, इजरायली बबूल *(Acacia tortilis)*, व खैर *(Acacia catechu)* के बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियां :–

- वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिए विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। दिनांक 31.5.2012 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये गये 14 अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की गई। शोध परामर्शी समूह की बैठक में 6 निम्न अनुसंधान के नए प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया:–

1. Clonal propagation (vegetative propagation) of Shisham *(Dalbergia sissoo)* in mist chamber as well as in agrinet house.
2. Raising of fruit plants through Clonal propagation (vegetative propagation) of *Phyllanthus emblica, Psidium guajava* and *Punica granatum*.
3. Development of nature trail at Arboretum.
4. Introduction of native species of Rajasthan in Arboretum.
5. Provenance trial of *Jatropha curcas*.
6. Regeneration of Padal *(Stereospermum suaveolens)* by Root Sucker Method.

- दिनांक 3.6.2013 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2012–13 में किये गये 6 अनुसंधान के प्रयोग/कार्यों की समीक्षा तथा निम्न 7 नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया।

1. Construction of Red house for rare and endangered species in Agri net house.
2. Preparation of inventory of flora and fauna of Arboretum, Jaipur.
3. Creation of Bambusetum at World Forestry Arboretum/Grass Farm Nursery, Jaipur.
4. Study of natural regeneration of forest area of Jaipur District.
5. Vegetative propagation of *Ficus arnottiana* (Pahadi Pipal) by cutting method.
6. Vegetative propagation of *Butea monosperma* var. lutea.
7. Developing propagation technique of both variety of *Anogeissus sericea*.

- शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) जोधपुर में निम्न 6 collaborative प्रगतिरत अनुसंधान परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

1. Productivity and Biometrics studies of some important species in semi-arid regions of Rajasthan for their sustainable management.
2. Phytoremediation of soil for productivity enhancement during land disposal of effluent.
3. Assessment of Guggul germ plasm for studying population density. Female-male plant ratio for in-situ and ex-situ conservation in Rajasthan.

Seed testing of *Commiphora wightii*

Propagation of *Stereospermum suaveolens* by Root

4. Productivity enhancement of Kair *(Capparis decidua)* to generate livelihood in rural area of Thar Desert.
5. Documentation of important research findings and technologies for application to forestry in Rajasthan.
6. Documentation of Sacred Groves of Rajasthan and Assessment of Biological Diversity in some of them for Improved Management and People Livelihoods.

- वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए जोधपुर आफरी द्वारा आयोजित Stakeholders की बैठक में वन वर्धन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया तथा इसके अलावा आफरी, जोधपुर की शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) की जोधपुर में आयोजित बैठक में मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन द्वारा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये।
- विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर में नेचर ट्रेल के विकास कार्य में interlocking टाइल्स व कर्ब स्टोन द्वारा नेचर ट्रेल का निर्माण करवाया गया। साथ ही नेचर ट्रेल पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के पीने के पानी के लिए वाटर कूलर तथा बैठने के लिए बैंचें भी लगाई गई। नेचर ट्रेल के साथ विभिन्न प्रशासनिक दिशा निर्देश व उद्यान में पाये जाने वाली वनस्पति एवं जीव जगत के बोर्ड भी लगाये गये।
- वर्ष 2013-14 में विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान क्षेत्र में विद्यमान फ्लोरा व फौना के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, Rare and endangered प्रजातियों के लिए रेड हाउस निर्माण का कार्य तथा विभिन्न प्रजातियों के बॉस हेतु Bambusetum के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।
- वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में रतनजोत के प्रोविनेंस ट्रायल के लिए राजस्थान के विभिन्न प्रोविनेंस (Sirohi, Jhalawar, Baran, Bhilwara, Banswara, Pratapgarh and Udaipur) से बीज व कटिंग्स लाकर पौधे तैयार किए जाकर रोपित किये गये हैं।
- वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में Clonal propagation (vegetative propagation) द्वारा शीशम, अनार व अमरूद के पौधे तैयार करने में सफलता प्राप्त की गयी। पाडल की जड़ों से औषधीय वृक्ष पाडल के पौधे तैयार करने में भी सफलता प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त इन्द्रोक के पौधे कटिंग्स/बीज/गुट्टी से तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में Vegetative propagation of *Ficus arnottiana* (Pahadi Pipal) कार्य भी प्रगति पर है।
- वर्ष 2012-13 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में कैम्पा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 मीटर पक्की दीवार का निर्माण उप वन संरक्षक, वन मण्डल, जयपुर द्वारा करवाया गया। वर्ष 2013-14 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में कैम्पा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 मीटर पक्की दीवार निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।
- वर्ष 2012-13 में ग्रास फार्म नर्सरी परिसर में कैम्पा कार्यक्रम के अन्तर्गत 108 मीटर नयी दीवार, 427 मीटर दीवार की ऊँचाई बढ़ाने का कार्य तथा 236 मीटर दीवार पर एंगल आयरन व फ्रेम की जाली लगाने का कार्य करवाया गया।
- वर्ष 2013-14 में ग्रास फार्म नर्सरी में पौधों की मोरों से सुरक्षा हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- वर्ष 2013 में कार्यालय वन वर्धन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें वर्ष 2012-13 के समस्त कार्यों एवं गतिविधियों का समावेश किया गया। ग्रास फार्म नर्सरी

परिसर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने हेतु तकनीकी दस्तावेज तैयार किया गया।

- वर्ष 2012–13 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा में 1.5 हैक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड आंवला के 500 वृक्ष लगाये गये जिसमें से 250 पौधों को Drip irrigation पद्धति से पानी पिलाने सहित संधारण कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2013 में वन मण्डल बारां से पीले फूलों वाले पलास (*Butea monosperma* Var. Lutia) के बीज एकत्रित करवाये गये तथा एकत्रित बीजों से विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान व ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

बीज, मृदा व जल की जांच :– वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच करती है अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जांच कर उपयुक्त सुझाव देती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 2012–13 में वन विभाग के 25 विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त 57 वानिकी प्रजातियों के बीजों के 249 सैम्पल एवं 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक 141 सैम्पल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से वर्ष 2012–13 में 10 सैम्पल जल के तथा 41 सैम्पल मृदा के और इस वर्ष दिसम्बर, 2013 तक जल के 6 एवं मृदा के 14 सैम्पलों की जांच कर रिपोर्ट सम्बन्धित को भिजवाई गई है।

प्रकृति पथ ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में वर्ष 2012–13 में चिरौंजी, हरड़, महुआ, अरीठा, रायन, गधापलास, स्पेथोडिया, आकाश नीम, कैथ, हवन आदि के वृक्ष लगाये गये तथा वर्ष 2013–14 में इनका संधारण किया जा रहा है।

वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए आफरी, जोधपुर तथा स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान में सहयोग एवं विचार विमर्श किया जाता है।

Seed testing of *Maytenus emarginata*

10

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना :

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्ययोजना द्वारा वनों के चिह्नित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्ययोजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरुत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II, बीकानेर
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/सूरतगढ़ एवं स्टेज–II, बीकानेर द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार बांस का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है।

विभागीय कार्ययोजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना :

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दसवर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में कराए गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण तालिकानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	क्विंटल	(₹ लाखों में)
1	2	3	4	5
2012–13	1.60 लाख क्विं.	2.89 लाख क्विं.	4.49 लाख क्विं.	₹ 1880.62

वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि ₹ 2600.00 लाख के राजस्व लक्ष्य जलाने की लकड़ी एवं कोयला व्यापार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है उक्त प्रस्तावित राजस्व लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए लगभग 5.50 लाख क्विंटल जलाऊ एवं इमारती लकड़ी का उत्पादन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम एवं स्टेज–द्वितीय के पेड़ों के पातन से प्राप्त लकड़ी से होगा इसके अतिरिक्त सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी एवं सड़क किनारे के पेड़ों की कटाई से प्राप्त लकड़ी द्वारा भी उत्पादन संभव होगा।

वर्ष 2013–14 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

विभागीय कार्य मण्डल का नाम	आवंटित राजस्व लक्ष्य (लाखों में)	राजस्व आय माह 12 /2013 तक प्राप्ति राशि (₹ लाखों में)	उत्पादन लक्ष्य (लाख क्विंटल में)	उत्पादन प्राप्ति (क्विंटल में) (माह 12/2013)		योग (लाख क्विंटल में)
				इमारती लकड़ी (लाख क्विंटल में)	जलाऊ लकड़ी (लाख क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7
बीकानेर	700	417.91	2.50	0.41	0.56	0.97
सूरतगढ़	500	437.94	2.00	0.52	0.25	0.77
उदयपुर	500	199.75	0.50	0.02	0.53	0.55
जयपुर	200	162.31	0.50	0.14	0.44	0.58
स्टेज–II	700	43.33	0.00	0.20	0.17	0.37
योग	**2600.00**	**1261.24**	**5.50**	**1.29**	**1.95**	**3.24**

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्ष 2012–13 में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना अग्रानुसार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
2012–13	15.00	15.79	357.19

वर्ष 2013–14 में बांस से राजस्व आय का लक्ष्य राशि ₹ 320.00 लाख प्रस्तावित है तथा 12.00 लाख मानक बांसों का उत्पादन होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक बांस से प्राप्त राजस्व आय आवंटित लक्ष्य ₹320.00 लाख के विरुद्ध ₹ 193.39 लाख हो चुकी है तथा 4.80 लाख मानक बांस का उत्पादन हो चुका है। बांस उत्पादन मात्र विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में किया जाता है।

वर्ष	उत्पादन	
	लक्ष्य (मानक बांस)	उत्पादन (मानक बांस) 12/2013
2013–14	12.00	4.80 लाख

वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक (लकड़ी एवं बांस योजना सहित) कुल राजस्व के ₹ 2920 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध ₹1454.63 लाख का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी–पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थूरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

छाया : जी. एस. भारद्वाज

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान का विहंगम दृश्य

11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

शीशम बेल *(Dalbargia voulibilis)* राज्य में एकमात्र फुलवारी की नाली अभयारण्य में पाई जाती है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिसमें सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण– कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18 से 20 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2014 के संग्रहण काल हेतु ₹ 750 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2013 के लिए राज्य की कुल 172 इकाइयों का गठन किया गया जिनके बेचान से लगभग ₹ 998.80 लाख की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

वर्ष 2013 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 700 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। कुल 261830 मानक बोरा संग्रहित हुआ जिस हेतु लगभग ₹ 1832.81 लाख पारिश्रमिक श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा चुकाया गया है।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (₹ लाखों में) 2012–13	वर्ष 2013–14 दिसम्बर, 13 तक कुल प्राप्तियां (₹ लाखों में)
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1919.13	675.90
2.	अन्य विविध आय	12.41	7.95
	योग	**1931.54**	**683.85**

वर्ष 2014 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह नवम्बर–दिसम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2014 के संग्रहण काल हेतु ₹ 750 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2014 के लिए राज्य में कुल 168 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु निविदाएं दिनांक 16.01.14 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 17.01.14 को खोली जा चुकी है।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26 (2) व 26 (3) की पालना में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि ₹ 394.37 लाख रुपये का पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा रहा है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि ₹ 830.24 लाख के संशोधित अनुमान प्रस्तावित किये गये हैं।

12

सूचना प्रौद्योगिकी

वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण में कार्य कर रही है। चालू वर्ष में इस शाखा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है :–

विभागीय वेबसाइट (rajforest.nic.in) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले अधिनियम व नियम, वन प्रबन्ध एवं वन संरक्षण गतिविधियों एवं विकास परियोजनाओं की सूचना वेबसाइट के माध्यम से आम जन को उपलब्ध कराई गयी है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक विवरण, विभागीय अधिकारियों के पदस्थापन नागरिक अधिकार पत्र की सूचना इत्यादि की जानकारी पूर्व वर्ष की भांति वेबसाइट के माध्यम से दी गई है एवं समय–समय पर अद्यतन की जाती है।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्य–कलापों को आमजन के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इस वर्ष नवीन सूचनाओं का समावेश किया गया है। इस प्रयास से वेबसाइट का आकार लगभग 2.5 जीबी हो गया है। विभागीय वेबसाइट पर सही एवं शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभाग को उनसे सम्बन्धित पृष्ठ आवंटित कर उनमें संशोधन एवं नवीन सूचनाएं दर्शाने की सुविधा प्रदान की गयी है। परिणामस्वरूप आमजन को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं। पिछले वर्ष में निम्न कार्य किये गये:–

a) विभाग की विभिन्न शाखाओं को User Login की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से उनके द्वारा नवीनतम सूचना उपलब्ध

कराई जा रही है।

b) विभागीय सूचनाएं यथा कार्य आदेश, पदस्थापन, बजट, निविदाएं, भर्ती परिणाम इत्यादि की सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे विभिन्न स्तर के कार्यालयों को तीव्र सूचना सम्प्रेषण होने से इन्हें क्रियान्वित करने में गति आती है।

c) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को अनुभाग अनुसार व्यवस्थित करने का कार्य किया गया है जिससे आमजन को सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

d) Meeting Module बनाया गया है जिसमें विभाग की महत्त्वपूर्ण बैठकों, उनके एजेण्डा, नोट्स एवं बैठक कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी (Remote Sensing, GIS and GPS etc.) का विकास :

1. स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के सहयोग से कैडस्ट्रल स्तर पर वन एटलस बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, चूरू, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली (बफर), झुंझुनूं, बूंदी, पाली, अलवर, अजमेर, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, जालौर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली एवं झालावाड़ जिले के वन खण्डों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है। डिजिटाइजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुए जयपुर व सीकर जिलों के वन एटलस बनाए गए हैं।

2. GIS Data का उपयोग कार्य आयोजना सम्बन्धी स्टॉक मैप्स एवं मैनेजमेंट मैप्स तैयार करने में किया गया है। इसमें दौसा, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, नागौर, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बूंदी, बारां, भरतपुर एवं भीलवाड़ा जिलों के मैप्स तैयार किये गये हैं तथा अन्य जिलों के लिए कार्यवाही की जा रही है। अन्य सरकारी विभाग फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, NH (PWD) एवं विभागीय शाखाओं को भी मांग अनुसार Digital data एवं मैप्स उपलब्ध कराये गये हैं।

3. फील्ड स्तर पर GIS तकनीकी सम्बन्धी जानकारी देने हेतु समय–समय पर फील्ड स्तर के कर्मचारी/अधिकारीगणों को प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान की गई है।

4. भारत सरकार के पोर्टल e-greenwatch पर डिजिटाइज्ड सीमाएं एवं अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी इस प्रभाग द्वारा की जा रही है।

5. Android based PDA पर डिजिटाइज्ड वन सीमाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में सूचनाओं के बेहतर रूप से प्रबंधन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबंधन सूचना तंत्र के अन्तर्गत पूर्व में विकसित किये गये Modules का संधारण एवं विकास किया गया है। वन प्रबंधन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप से संधारित करने से समय की बचत के साथ–साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। MPR online में उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसे पूर्णतया web based बनाने का कार्य किया जा रहा है जिससे मासिक प्रगति के साथ–साथ अन्य सूचना भी Online भरकर प्रेषित की जा सकेगी। Posting Information System में अधिकारी व कर्मचारियों की Posting सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक कार्यों हेतु सूचनाएं त्वरित व एकरूपता से उपलब्ध हो सके।

विभाग में 4000 कर्मचारियों/अधिकारियों को CUG सिम उपलब्ध करायी गयी थी। इन कर्मचारियों के मोबाइल नम्बर, उनकी एम्प्लाई आई.डी., जन्म तिथि, फोटो आदि को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसे अद्यतन करने का कार्य किया जा रहा है।

जिलेवार एवं वन मंडलवार वन खण्डों के नाम एवं उनके क्षेत्रफल भी इस सूचना तंत्र पर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

वन भू–अभिलेख सूचना तंत्र (Forest Land Record Database Application)

वन भू–अभिलेखों के रिकॉर्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database

विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा वन भू–अभिलेख को देखा जा सकेगा। इन भू–अभिलेखों में वन खण्ड की विज्ञप्ति के समय में वन खण्ड में आने वाले खसरा नम्बर, वन खण्ड में आने वाले वर्तमान, खसरा नम्बर, वन खण्ड के स्केंड खसरा मैप, वन खण्ड की स्केंड विज्ञप्ति, वन खण्ड का डिजिटाइज्ड मैप आदि उपलब्ध होगा।

30 वन मण्डलों से प्राप्त वन भू–अभिलेख को लैन्ड बैक एप्लीकेशन के माध्यम से लोड किया जा चुका है। इसे बीटा वर्जन में ऑन लाइन कर सम्बन्धित वन मंडलों को यूजर नेम एवं पासवर्ड देकर उनका प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। तत्पश्चात् इन्हें नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

नागौर वन मंडल के वन भूमि के अभिलेख को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामान्यजन को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

वन विभाग में भर्ती हेतु ऑन लाइन आवेदन

विभाग में वन रक्षक, ड्राइवर एवं सर्वेयर पदों हेतु RISL के माध्यम से विभाग में भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया ऑन लाइन प्रारम्भ की गई। साथ ही उनके परिणाम को भी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग

ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajasthan.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिए जारी किये गये E-mail IDs अब NIC के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इनमें हुए परिवर्तन एवं नवीन पदों के लिए E-mail IDs जारी कराने का कार्य किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के सरकारी E-mail IDs अब NIC के mail server पर उपलब्ध है।

इसी पर उपलब्ध Quick SMS संविधा से PCCF, APCCF, CCF, CF एवं DCF को ग्रुप बनाकर Quick SMS के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं SMS के माध्यम से भेजी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (Chief Minister Information System)

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए ऑन लाइन सूचनाएं मांगी जाती हैं। उच्च कार्यालयों से प्राप्त CM Announcement, Budget Announcement, Election Manifesto / CM direction व अन्य Modules की सूचना को नियमित रूप से अपडेट किया गया है।

वन कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय वन भवन, अरावली भवन तथा जयपुर जन्तुआलय में SECLAN कार्यरत है जबकि कार्यालय वनवर्धन अधिकारी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय वन मण्डल जयपुर (उत्तर), रेंज आमेर, रेंज जयपुर तथा रेंज नाहरगढ़ में इसे स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

विभाग में जयपुर से बाहर 116 कार्यालयों को RAJSWAN से जोड़ा जाना है। अभी तक 25 कार्यालयों में RAJSWAN की कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है।

उपरोक्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक वन विभाग के 70 कार्यालयों को BSNL की ब्रांड बेंड सुविधा से जोड़ा गया है।

इसके माध्यम से आवश्यक सरकारी कार्य जैसे Web-site updation, MIS updation (pay manager, IFMS, CMIS, MPR Online) आदि कार्यों के निष्पादन में तेजी आवेगी।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing)

राज्य सरकार के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार का दिन वन विभाग के लिए रखा गया है। इसमें सचिवालय स्थित NIC के VC केन्द्र के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित विभाग के कार्यालयों को कनेक्ट कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिससे समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर विशेष कार्यक्रम द्वारा महा निदेशक वन, भारत सरकार (Director General Forest,

Govt. of India) स्तर पर भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गयी है।

कम्प्यूटरीकरण (Computerization)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग में रेंज स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन के उपरान्त 39 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु राशि विभिन्न संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को आवंटित की गयी है। इसी कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में भी विभिन्न संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को राशि आवंटित की गयी है।

ITPROWL (Integrated IT Project for Wildlife)

यह एक इन्टीग्रेटेड एम.आई.एस. एप्लीकेशन है जिसे राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से Raj Comp द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके द्वारा राज्य के चिड़ियाघरों एवं सरिस्का अभयारण्य, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क एवं माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन हेतु विभिन्न सूचनाओं के संधारण एवं मॉनिटरिंग का कार्य तीव्र एवं आधुनिक तरीके से किया जाना संभव होगा। IT PROWL के Zoo module का जयपुर जन्तुआलय में सफल परीक्षण करने के उपरान्त इसे उदयपुर, जोधपुर व कोटा के चिड़िया घरों में भी आरम्भ किया गया। इसके लिए इस अनुभाग द्वारा उन जन्तुआलयों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित की गयी है। वन मंडल वन्य जीव उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क में भी सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए राशि आवंटित की गयी है। इस मॉड्यूल में डाटा एंट्री त्वरित करने के लिए PDA के माध्यम से डाटा एंट्री की तकनीक विकसित की गयी है जिसका उपयोग जयपुर जन्तुआलय में किया जा रहा है।

विभाग में फील्ड स्टाफ तथा कार्यालयों को Closed User Group (CUG) के अन्तर्गत जोड़ने के लिए वन रक्षक स्तर से सहायक वन संरक्षक स्तर तक BSNL के माध्यम से 4000 SIM आवंटित किये गये। शेष सहायक वन संरक्षक से वन रक्षक तक के कर्मचारियों को इस वर्ष SIM उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उप वन संरक्षक एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को उनके पोस्टपेड मोबाइल द्वारा ही विभाग की CUG में जोड़ा जा रहा है।

विभाग में राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक के टेंडर को ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य है। टेंडर से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई–प्रोक्यूरमेंट हेतु DOIT के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया तथा DSC (Digital Signature Certificate) जारी करवाये गये तथा टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड तैयार किये गये। ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से टेंडर करवाने की प्रक्रिया जन्तुआलय जयपुर तथा विभागीय कार्य वन मण्डल सूरतगढ़ एवं बीकानेर में क्रियान्वित की गयी।

राजस्थान राज्य लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक राशि की निविदा State Public Procurement Portal पर प्रदर्शित किये जाने अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्षों को User ID एवं Password उनके आवेदन पर उपलब्ध करवाये गये हैं।

अन्य क्रियाकलाप एवं प्रस्तावित परियोजनाएं

1. विभाग के लिए Posting Information System बनाने की कार्यवाही आरम्भ की गई है जिसमें डेटा NIC Pay Manager Application से प्राप्त किया गया है।
2. जयपुर व जोधपुर जन्तुआलय तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में CCTV स्थापित किये गये हैं।
3. PDCOR Rajasthan के माध्यम से बड़ी लाइन आमेर 54 वन खण्ड का DGPS सर्वे कार्य कराया गया है।
4. वन भवन की जांच शाखा में लेटर एवं फाइल ट्रेकिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग की जा रही है जिसे वन भवन की विकास शाखा में भी लागू किया जा रहा है।
5. राज्य के समस्त चिड़ियाघरों में IT PROWL को क्रियान्वित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराये गये।
6. सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में भी CCTV एवं अन्य उन्नत तकनीक से मॉनिटरिंग कार्य हेतु संसाधन उपलब्ध कराये।
7. विभागीय कार्य अनुभाग के कार्यों के लिए MIS बनाने एवं अन्य कार्य हेतु संसाधन उपलब्ध कराये गये।

○○○

13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावें।

राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/ विधाओं के उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य आरम्भ किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य के वानिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिभागियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभाग के सभी संवर्गों (भारतीय वन सेवा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक) के लिए कौशल संवर्धन, थीमेटिक व कार्यानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण तकनीक पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को बहुत ही अच्छी किस्म के बीज एकत्रीकरण हेतु राजस्थान के वनों में विद्यमान स्थानीय उपयोगी प्रजातियों से बीज एकत्रीकरण हेतु Plus Tree की पहचान करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2013–2014 में माह दिसम्बर, 2013 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :–

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

- Lites Upgradation प्रशिक्षण हेतु कुल 6 कार्यक्रम आयोजित किए जाकर 88 सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीय वन अधिकारियों/वनपाल/लिपिक ग्रेड–I/लिपिक ग्रेड–II को प्रशिक्षित किया गया।
- उप वन संरक्षक/सहायक वन रक्षक/क्षेत्रीय वन

नव नियुक्त वनरक्षकों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण

अधिकारी स्तर के 87 अधिकारियों को दो कार्यक्रमों में राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2012 का प्रशिक्षण दिया।

- 45 मुख्य वन संरक्षकों/वन संरक्षकों/उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीय वन अधिकारियों को नाबार्ड का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 15 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों/ क्षेत्रीय वन अधिकारियों को Q-GIS का एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया।
- 52 मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्यालय प्रक्रिया का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 62 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- 14 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों को वन रक्षक भर्ती प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 36 वन अधिकारियों/अधीनस्थ/मंत्रालयिक कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया।
- 232 एन.सी.सी. कैडेट्स को पर्यावरण चेतना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।
- 17 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों को ''एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट प्रोग्राम'' अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।
- 44 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों के लिए ''प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण'' कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 17 मंत्रालयिक कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।
- 15 सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीयों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।
- 39 वन अधिकारियों/अधीनस्थ/मंत्रालयिक कार्मिकों को GPS सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।

नव नियुक्त वनरक्षकों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण

- 20 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर के अधिकारियों को नव नियुक्त वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोर्स डायरेक्टर/सहायक कोर्स डायरेक्टर के रूप में कार्य करने हेतु डायरेक्टर का प्रशिक्षण दिया गया।
- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता फेज–2 परियोजना की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन), अलवर

- 80 कार्मिकों को 'पौध तैयारी एवं नर्सरी तकनीक' विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु एक दिवसीय दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ईको डवलपमेंट कमेटी के ''गठन व रिकॉर्ड संधारण सम्बन्धी'' प्रशिक्षण 22 प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया जिसमें वनरक्षकों व समिति सदस्यों को सम्मिलित किया गया।
- 20 वन रक्षकों हेतु 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया।
- नव नियुक्त 44 महिला वन रक्षकों को तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 14 ने विशिष्ट श्रेणी एवं 30 ने उच्च श्रेणी प्राप्त की।

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

इस केन्द्र पर इस वर्ष 47 नव नियुक्त वनरक्षकों को 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

नव नियुक्त वन रक्षकों का प्रशिक्षण

विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नव नियुक्त 629 वन रक्षकों को तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चूंकि विभाग के स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों पर इतनी बड़ी संख्या में आधारभूत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं है अत: इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए ग्यारह अस्थाई सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों के लिए संबंधित जिले के उप वन संरक्षकगण को सत्र निदेशक नियुक्त किया गया। उनकी सहायतार्थ सहायक सत्र निदेशकों की नियुक्ति भी की गई। इन अस्थाई केन्द्रों पर 538 वन रक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। केन्द्र वार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम केन्द्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	अजमेर	40
2.	बीकानेर	51
3.	सीकर	50
4.	कोटा	44
5.	बूंदी	46
6.	रणथम्भौर	50
7.	भरतपुर	59
8.	सरिस्का अलवर	54
9.	चित्तौड़गढ़	55
10.	बांसवाड़ा	48
11.	उदयपुर	41
	योग	**538**

इनके अतिरिक्त स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन) केन्द्र, अलवर में 44 तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में 47 कुल 91 महिला वन रक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण :

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों–सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र–छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नव नियुक्त वनरक्षकों को खेलकूद प्रशिक्षण

14

सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/ विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं। वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष वन सुरक्षा एवं विकास के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने दिनांक 26 जून, 2013 को राज्यादेश जारी कर वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान को दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की राशि में वृद्धि कर इसे दोगुना कर दिया है। आदेशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अब एक लाख रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र तथा वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को पचास हजार रुपये नकद व प्रशस्त्रि पत्र प्रदान किए जायेंगे।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 7 मार्च, 2014 को एक अन्य आदेश जारी कर वन सुरक्षा, विकास तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि में संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	श्रेणी पुरस्कार	पुरस्कार राशि ₹ में	
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
(क)	**वन विकास का उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वृक्ष वर्धक'' पुरस्कार**		
1.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी व्यक्ति/कृषक	2,000	1000
2.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था/औद्योगिक प्रतिष्ठान	2,000	1000
3.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली शिक्षण संस्था	2,000	1000
4.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायत	2,000	1000
5.	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करवाने वाली नगर पालिका/परिषद (स्थानीय निकाय)	2,000	1000
6.	खनन क्षेत्रों को वृक्षारोपण कर पुनर्वास करने वाला व्यक्ति/संस्थान	2,000	1000
(ख)	**वन्य जीव, वन सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वन प्रहरी'' पुरस्कार**		
1.	सर्वोत्तम वन सुरक्षा वन प्रबंधन कार्य करने वाली संस्था ''ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति''	2,000	1000
2.	वृक्ष/वनों की सुरक्षा में सहयोग का उत्कृष्ट कार्य करने वाला निजी व्यक्ति/संस्था	2,000	1000
(ग)	**वानिकी प्रसार–प्रचार ''वन प्रसारक'' पुरस्कार**		
1.	प्रचार–प्रसार का सर्वोत्तम कार्य करने वाला निजी व्यक्ति	–	1000
2.	प्रचार–प्रसार का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था	–	1000
(घ)	**वनपालक पुरस्कार–वनाधिकारियों तथा वन कर्मियों हेतु**		
1.	सर्वोत्तम वन रक्षक	2,000	1000
2.	सर्वोत्तम वनपाल	2,000	1000
3.	सर्वोत्तम क्षेत्रीय (प्रथम/द्वितीय श्रेणी)	2,000	1000
4.	सर्वोत्तम वन मण्डल	शील्ड	–

(ङ)	**वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार**		
1.	वानिकी क्षेत्र में मौलिक सृजनात्मक एवं अनुसंधान कार्य जैसे लेख, पुस्तक, अनुसंधान, पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार	4,000	–
(च)	**''वानिकी पंडित'' पुरस्कार**		
1.	वन सुरक्षा, संवर्धन प्रचार–प्रसार का समग्र रूप से पूरे राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति/निजी संस्था/विभाग (वन विभाग के अति.)	10,000	–

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए गए :–

• अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार–2011 एवं 2012

श्रेणी–1 : वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्था श्रेणी में ग्राम्य वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति हातिमताई वन मण्डल जालोर को वर्ष 2011 का तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बासथूनी, रेंज किशनगढ़, वन मण्डल बारां को वर्ष 2012 का अमृतादेवी पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्रेणी–2 : वन विकास एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 'व्यक्ति' श्रेणी में वर्ष 2011 के लिए श्री रेखाराम क्षेत्रीय आमेर, जयपुर तथा वर्ष 2012 के लिए श्री गोपाल सिंह राजावत (मानद वन्य जीव प्रतिपालक) अध्यक्ष, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, दुड़की जिला दौसा को प्रदान किया गया।

श्रेणी–3 : वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण – व्यक्ति श्रेणी में वर्ष 2011 के लिए श्री प्रभुदयाल गुर्जर, सहायक वनपाल, बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर को पुरस्कृत किया गया।

• वन सुरक्षा, विकास एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार

वन सुरक्षा, विकास तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को वर्ष 2010 के राज्य स्तरीय पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार व्यक्तियों/संस्थानों तथा राज्यकर्मीगणों का पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं:–

वृक्षवर्धक पुरस्कार

भारी पानी संयंत्र, रावतभाटा (कोटा) 1000/–
कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

वनपालक पुरस्कार

(i) सर्वोत्तम क्षेत्रीय

श्री पंकज कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय (प्रथम)
कार्यालय उप वन संरक्षक डीडीपी, जैसलमेर 1000/–

(ii) सर्वोत्तम वनपाल

श्री धुलाराम लौहार (पंचाल), वनपाल 1000/–
कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपुर

(iii) सर्वोत्तम वनरक्षक

श्री नारायण लाल कुमावत, वनरक्षक 1000/–
कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर (मध्य)

वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार

श्री दिनेश श्रीमाली, 152, अयोध्यापुरी,
किशोर नगर, राजसमंद 2000/–

राज्य स्तरीय पुरस्कार – 2013

विभाग के डॉ. सतीश कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक को स्वतंत्रता दिवस (15.8.2013) को उनकी विख्यात कृति "Orchids of Desert and Semi-Arid, Bio Geographic Zones of India" पर राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र व ₹5000.00 नकद प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने पुस्तक में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भू–भाग के आर्किड़ कुल के पौधों का विशद् अध्ययन कर उनको पहचानने हेतु यह ''फ्लोरा'' सृजित किया है। इस ''फ्लोरा'' में आर्किड़ों की संरक्षण समस्याओं, संरक्षण विधियों एवं महत्व पर प्रकाश ड़ाला है। इससे पूर्व डॉ. शर्मा को उनकी पुस्तक '' लोकप्राणी विज्ञान'' एवं ''वन्यजीव प्रबन्ध'' पर भारत सरकार भी क्रमश: ₹ 15,000 एवं ₹ 20,000 नगद मेदनी पुरस्कार के रूप में प्रदान कर पुरस्कृत कर चुकी है।

जिला स्तरीय सम्मान

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2014 के अवसर पर जिला स्तरीय सार्वजनिक समारोह में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवायें देने के उपलक्ष में श्री अब्दुल जलीज, वन रक्षक को जिला प्रशासन करौली द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया।

15

संचार एवं प्रसार

वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जन साधारण के सहयोग एवं भागीदारी से ही संभव है, जन सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनसामान्य को विभाग की गतिविधियों, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सुलभ करवाया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा वन संरक्षण के साथ–साथ वन विकास के कार्य भी किए जाते हैं। इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2013 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं :

फॉरेस्ट मैन्यूअल का प्रकाशन

राजस्थान फॉरेस्ट मैन्यूअल का प्रथम प्रकाशन राज्य सरकार की सहमति से दिनांक 01.01.1959 को किया गया था। तब से अब तक की इस दीर्घ अवधि में राज्य में प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं एवं राज्यादेशों में अनेक संशोधन हो चुके हैं। अत: इस मैन्यूअल को नवीन परिप्रेक्ष्य में संशोधन, विस्तारित एवं आदिनांक अद्यतन किए जाने की महती आवश्यकता अनुभूत की जा रही थी। इसे अद्यतन करने हेतु प्र.मु.व.स. (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई, 2011 को एक समिति का गठन किया गया। समिति ने मैन्यूअल को अद्यतन किया जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को प्रशासनिक अनुमोदन किया। अनुमोदन उपरान्त इसे मुद्रित करवाकर विभागीय अधिकारियों में वितरित किया गया।

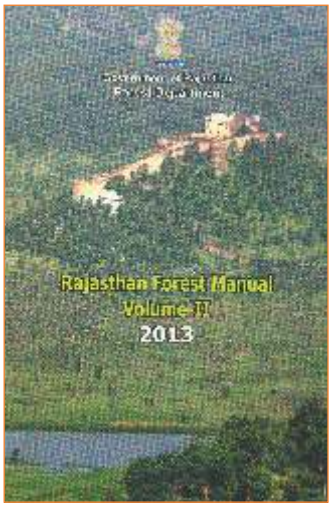

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत निम्न पुस्तकें मुद्रित करवाई गईं–

- जी.पी.एस. आधारित सर्वेक्षण, सीमांकन एवं नक्शा निर्माण हेतु मार्गदर्शिका।

स्कूली बच्चों को वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के संबंध में जानकारी देते अनुराग भटनागर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जाबदा

- अराजकीय संस्थाओं के लिए मार्गदर्शिका।
- आय अर्जन गतिविधियों एवं स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु मार्गदर्शिका
- राज. वा. एवं जैव वि. परियोजना सम्बन्धी सूचनाओं हेतु लीफलेट बनाया गया।
- 60 मिनट की अवधि की ''नई सोच – नई मंजिल'' नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई।
- डॉक्यूमेंट्री फिल्म ''एकधरा'' (30 मिनिट), 'एक पहल ऐसी भी' (35 मिनिट), ''मेरी अनकही कहानी'' (30 मिनिट) एवं ''नई सोच नई मंजिल'' (60 मिनिट) के अंग्रेजी अनुवाद में डबिंग कर फिल्में तैयार कराई गईं।
- रा.वा. एवं जै.वि. परियोजना की वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की गई।
- मूल्यांकन एवं प्रबोधन वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन व वितरण।
- वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 का प्रकाशन व वितरण।
- चालू वित्तीय वर्ष में मण्डल प्रबंधन इकाइयों में 180 जनजागृति कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
- वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न स्थानों पर वन महोत्सवों का आयोजन कर आम जनता से पौधारोपण कार्य करवाया गया।
- राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), 1 से 7 जुलाई, वानिकी सप्ताह (Forestry Week), 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के आयोजन किये गये हैं। उक्त कार्यक्रमों में जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये हैं।

छाया : के. आर. काला

जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम रही वन मण्डल, करौली की झांकी

- 26 जनवरी, 2013 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विभिन्न जिलों में पर्यावरण सम्बन्धी झांकियां निकाली गई हैं। जिला करौली में वन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा झांकी को सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया।
- **राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) नई दिल्ली द्वारा बांसवाड़ा जिले के सिंगपुरा व लखेरिया ग्रामों में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किये जा रहे वन विकास एवं सामाजिक उन्नयन गतिविधियों पर 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं जिनको पूरे देश में दिखाया जा रहा है।**
- संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण का एक सशक्त माध्यम विभागीय वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आम जनता के लिए अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस क्रम में संचार एवं प्रसार हेतु एक पृथक् से वेब पेज भी

डूँगरपुर बर्ड फेयर–2013

जिला प्रशासन एवं वन विभाग, डूँगरपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में दिनांक 21–22 दिसम्बर, 2013 को डूँगरपुर जिला मुख्यालय पर 'बर्ड फेयर' का आयोजन किया गया। इस पक्षी मेला समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से पक्षी प्रेमी, शिक्षा–विद् एवं प्रकृति प्रेमियों ने अति उत्साह से भाग लिया। इस दो दिवसीय आयोजन में डूँगरपुर एवं उदयपुर जिले के स्कूली बच्चों, NGOs एवं प्रकृति प्रेमियों के साथ–साथ राजस्थान टूरिज्म, BNHS, IBCN, WWF, Tourism & Wildlife Sociaty of India, unicef सहित करीब 5 हजार लोगों ने भाग लिया।

प्रथम दिवस को पक्षी मेला समारोह में डूँगरपुर के विभिन्न जलाशयों गेपसागर, साबला इत्यादि पर प्रवासी (migrant) एवं स्थानीय (resident birds) पक्षियों के नजारों का प्रकृति प्रेमी जनसाधारण ने प्रभात वेला पक्षी दर्शन (bird watching morning session) में लुत्फ उठाया एवं दोपहर के समय पर्यावरण जन जागृति शिविर में प्रकृति के प्रति जागरूकता हेतु चर्चा में भाग लिया। दूसरे दिन जन जागृति शिविर में डॉ. असद रहमानी, डायरेक्टर BNHS ने वन्यजीव गणना एवं उनकी आदतें तथा आवास के बारे में फील्ड स्टाफ को जानकारी दी। स्कूली बच्चों, वन सुरक्षा समिति के सदस्यों एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रमुख प्रकृति प्रेमी, वन्यजीव विशेषज्ञों एवं जिला प्रशासन, राजकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों वन विभाग के अधिकारियों ने डूँगरपुर जिले के विभिन्न जलाशयों में पाये जाने वाली लगभग 250 पक्षी प्रजातियों को प्रतिवेदित किया जिसमें लगभग 100 प्रजातियाँ जलीय एवं 150 प्रजातियाँ स्थलीय पक्षियों की रिकॉर्ड की गई। इनमें 90 प्रजातियाँ शीत कालीन प्रवासी पक्षियों की हैं, जो प्रतिवर्ष शीतकाल में प्रवास पर डूँगरपुर के जलाशयों पर आती है। डूंगरपुर में आयोजित इस पक्षी मेले में स्थानीय निवासियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

पक्षी मेले की झलकियाँ

16

सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान:

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :

घटक	योगदान (₹ लाखों में)
ईंधन	22250.00
चारा	126815.00
इमारती लकड़ी	17000.00
लघु वन उपज	5400.00
योग	**171465.00**

❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध

राजस्थान वानिकी एवं जैव विवधता परियोजना–2 के अन्तर्गत
ग्राम तालेटा (सिरोही) में ग्रामीणों एवं वन अधिकारियों में पी.आर.ए. पर चर्चा

नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत दौसा जिले में आयोजित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की बैठक

समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वनों का परोक्ष योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का परोक्ष योगदान सर्वाधिक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों ₹ मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय–समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है।

राज्य में 5538 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 7.65 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबन्धन कर

रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 3.07 लाख हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए 270 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 5172 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 366 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। समितियों में कुल 6,43,336 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,28,347 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 88515 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 2,79,776 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। महिला उप समितियों में 49,806 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 3,442 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 1200.86 लाख की धनराशि जमा है। 929 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 6.81 करोड़ की राशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन अपराधों पर शास्ति–वसूली, वन उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है। संकलित सूचनाओं के अनुसार समितियों के पास ₹ 5.17 करोड़ से अधिक की राशि इस मद में जमा है।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ प्राप्त करती हैं। इस वर्ष इन समितियों को घास से ₹ 6.01 करोड़ से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 3,33,527 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

राज्य की 2,276 समितियों ने अपने–अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,358 समितियों की प्रबन्ध योजना भी बन चुकी है। इन समितियों को 254 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

आजीविका अर्जन गतिविधियां :

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जन समुदाय एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर अधिक आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है जिसमें ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय बढ़ सके जिसके फलस्वरूप वनों पर दबाव घट सके।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। गांव–गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के नियमित स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 2709 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जिनमें से 1770 समूह केवल महिलाओं के तथा 897 समूह केवल पुरुषों के हैं।

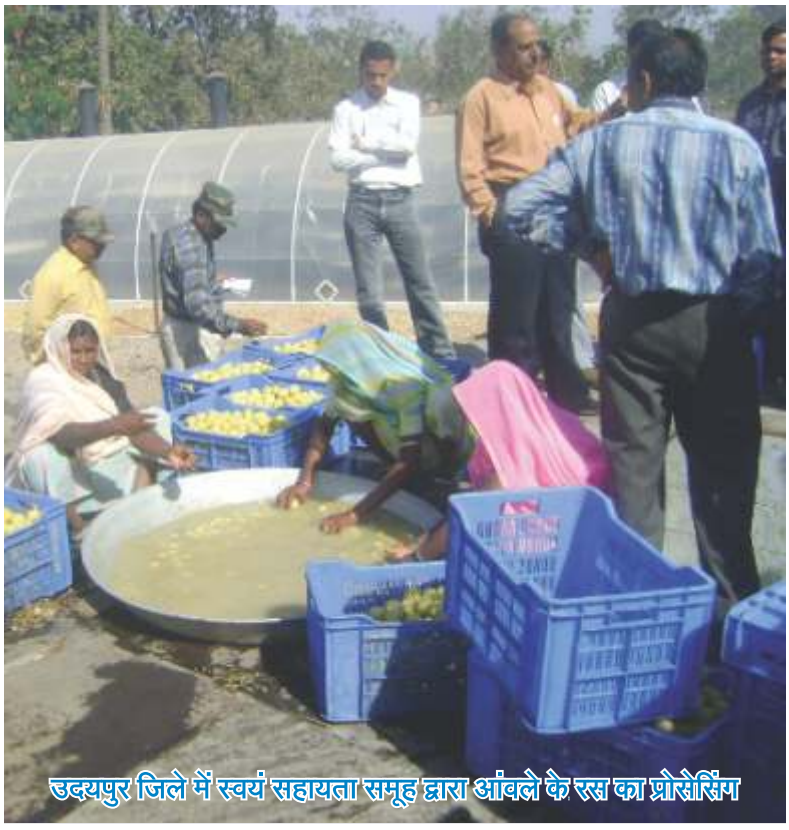

उदयपुर जिले में स्वयं सहायता समूह द्वारा आंवले के रस का प्रोसेसिंग

उदयपुर जिले में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई जा रही अगरबत्ती स्टिक्स

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां इन प्रबन्धकीय वन क्षेत्रों से नि:शुल्क घास प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

लघु वन उपज संग्रहण

समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, पुआड महुआ फल–फूल, बहेड़ा फल, आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल–फूल एकत्रित किया जाता है।

बांस विदोहन एवं विपणन – समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

जीविकोपार्जन गतिविधियां

साझा वन प्रबंध के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जीविकोपार्जन कार्य के नए विकल्प प्रदान करने के लिए प्रारम्भ करवाकर, आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया है, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वन अथवा गैर वन उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उत्पादों के विपणन से पहले से अधिक आय होने लगी है। इन गतिविधियों से जहां वृक्षारोपण/वन क्षेत्रों के संरक्षण व संवर्धन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त होने लगा है, वहीं इन क्षेत्रों के सतत् पोषणीय वन प्रबन्ध (Sustainable forest management) की भावना विकसित किये जाने में मदद मिलने लगी है।

जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु प्रथमत: उपलब्ध स्थानीय उपज की पहचान / चिह्नीकरण (Identification) किया जाकर उक्त उपज के मूल्य संवर्धन किये जाने हेतु स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जाकर, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। इन गतिविधियों के संचालन हेतु बाह्य संस्थाओं यथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, फूड एवं डेयरी टेक्नोलॉजी एवं उद्यानिकी विभाग, कोनबेक–सिंहदुर्ग महाराष्ट्र व अन्य संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

स्थानीय ग्रामीणों को आय अर्जन के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग में 1209 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है। इन समूहों द्वारा आय अर्जन हेतु निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है:–

1. अगरबत्ती निर्माण एवं विक्रय
2. ग्वार पाठा रस/जैल निर्माण
3. बांस फर्नीचर निर्माण
4. दाल मिल संचालन
5. जामुन/आम/आंवला आदि का शर्बत निर्माण
6. एडवेंचर टूरिज्म/ ईको टूरिज्म
7. खाद/बीज क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराना

8. सामाजिक प्रयोजनों हेतु बर्तन भण्डार
9. कृषि उपकरण क्रय करना एवं कृषकों को उपलब्ध कराना
10. अनाज बैंक
11. आटा चक्की
12. मसाला उद्योग
13. पेपर बॉक्स विपणन
14. मुर्गी पालन
15. सिलाई प्रशिक्षण एवं सिलाई कार्य
16. थ्रैशर संचालन

उक्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के सीधे ही उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु इस वर्ष चेतक सर्कल, उदयपुर पर एक विक्रय केन्द्र भी खोला गया है जिस पर नियमित रूप से इन उत्पादों का विक्रय हो रहा है।

प्रदेश के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने एवं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होने की वजह से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करना आसान नहीं है। इसके बावजूद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अब तक 426 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है। स्थानीय निवासियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पर्यावरण पाठशालाएं स्थापित की गई है। विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निवासियों के बच्चों को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है। वृक्षारोपण क्षेत्रों में पौधों की लाइनों के बीच में कृषि जिन्स जैसे ग्वार, मूंग आदि की खेती (Inter-Cropping) के माध्यम से गाँव वालों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। इसके अतिरिक्त **वृक्षारोपण क्षेत्रों में पौधों की कतारों के बीच में हरा चारा उगाकर स्थानीय ग्रामवासियों को अकाल के समय उपलब्ध कराया गया था जिससे वन सुरक्षा समितियों को आमदनी भी हुई एवं ग्रामवासियों की मवेशियों को चारा भी उपलब्ध हुआ।**

इन गतिविधियों के संचालन का ही परिणाम है कि साझा वन प्रबन्ध ग्रामवासियों द्वारा वनों का संरक्षण, सतत् पोषणीय उत्पादन तथा वन प्रबन्ध, जन कल्याण की अवधारणा के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है।

साझा वन प्रबन्ध के तहत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वन सुरक्षा, प्रबन्धन, सतत् पोषणीय उत्पादन तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया। इसी के परिणामस्वरूप राज्य की निम्नलिखित समितियों को राष्ट्रीय स्तर के इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है व 1996 व 2008 से 2010 तक लगातार तीन वर्षों में यह राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्राप्त हुआ है। उदयपुर की वन सुरक्षा समिति करेल को वर्ष 2008 में अमृतादेवी पुरुस्कार तथा वर्ष 2009 में इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरूस्कार तथा वन सुरक्षा समिति पालियाखेड़ा को वर्ष 2008 में इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरुस्कार मिला है तथा वन मण्डल प्रतापगढ़ की वन सुरक्षा समिति दाणीतलाई को वर्ष 2010 में इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरूस्कार मिला है। इस प्रकार लगातार तीन वर्षों से लब्ध प्रतिष्ठित इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरुस्कार राज्य की वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को ही प्राप्त हो रहा है जो कि वन सुरक्षा समितियों के उत्कृष्ट कार्य का द्योतक है।

इन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को पुरस्कृत किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश की अन्य समितियां भी इनसे प्रेरणा लेकर साझा वन प्रबन्ध के स्वप्न को साकार करने के लिए उत्साहित होकर कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो रही हैं।

उदयपुर जिले में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया जा रहा बांस फर्नीचर

परिशिष्ट–1

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न–भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र करौली जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी से किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र (31.3.2013)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	आरक्षित वन क्षेत्रफल	रक्षित वन क्षेत्रफल	अवर्गीकृत वन क्षेत्रफल	कुल वन भूमि क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
अजमेर	8481	195.420720	418.525380	4.495810	618.441910	7.2
अलवर	8380	1003.142100	642.655900	137.816800	1783.614800	21.28
बांसवाड़ा	5037	0.000000	1005.944470	0.442100	1006.386570	19.97
बारां	6992	0.000000	2225.313100	14.377000	2239.690100	32.03
बाड़मेर	28387	20.295500	569.457780	37.662030	627.415310	2.21
भरतपुर	5066	0.000000	421.968900	12.965500	434.934400	8.58
भीलवाड़ा	10455	437.795700	274.637100	67.256000	779.688800	7.46
बीकानेर	27244	0.000000	746.684080	502.378220	1249.062300	4.58
बूंदी	5550	824.988980	723.961300	8.383200	1557.333480	28.06
चित्तौड़गढ़	10856	1202.557700	590.431490	0.425300	1793.414490	16.52
चूरू	16830	7.197700	33.391250	32.363650	72.952600	0.43
दौसा	3432	134.872100	148.692200	0.929100	284.493400	8.29
धौलपुर	3033	7.915600	597.720260	32.750000	638.385860	21.05
डूंगरपुर	3770	257.083560	426.406870	9.262900	692.753330	18.37
श्रीगंगानगर	10978	0.000000	238.416700	395.024270	633.440970	5.77
हनुमानगढ़	9656	0.000000	113.246600	126.213400	239.460000	2.48
जयपुर	11143	677.567200	263.275800	4.820000	945.663000	8.29
जैसलमेर	38401	0.000000	203.320360	378.271490	581.591850	1.51
जालौर	10640	122.238200	298.049200	32.317400	452.604800	4.25
झालावाड़ा	6219	413.458340	930.605280	5.730700	1349.794320	21.70
झुंझुनूं	5928	6.023100	399.293100	0.040000	405.356200	6.84
जोधपुर	22850	4.676000	175.174800	70.289200	250.140000	1.09
करौली	5524	62.990730	1693.126250	53.930000	1810.046980	32.77
कोटा	5217	885.961980	430.892260	5.605000	1322.459240	25.34
नागौर	17718	0.800000	206.233000	33.895000	240.928000	1.36
पाली	12387	816.560400	144.513359	2.508200	963.581959	7.78
प्रतापगढ़	–	930.876400	734.974500	0.456230	1666.307130	–
राजसमंद	3860	277.406028	119.170836	4.701000	401.277864	10.39
सवाईमाधोपुर	4498	789.278060	155.164670	8.440130	952.882860	21.18
सीकर	7732	9.920000	622.404000	7.030000	639.354000	8.26
सिरोही	5136	614.041560	984.722400	39.886500	1638.650460	31.90
टोंक	7194	96.427400	231.289200	2.330000	330.046600	4.58
उदयपुर	13419	2639.768205	1493.360500	9.205700	4142.334405	30.87
योग	**342239**	**12439.263263**	**18263.022895**	**2042.201830**	**32744.487988**	**9.57**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

परिशिष्ट–2

राज्य का जिलेवार वनावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 (स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011) के अनुसार राज्य में जिलेवार वनावरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

नाम जिला	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	झाड़ी वन
	अत्यधिक सघन	सघन	विरल	कुल		
अजमेर	0	38	239	277	3.27	218
अलवर	59	336	810	1205	14.38	255
बांसवाड़ा +	0	83	293	376	7.46	85
बारां	0	149	941	1090	15.59	113
बाड़मेर	0	3	169	172	0.61	106
भरतपुर	0	34	204	238	4.70	90
भीलवाड़ा	0	34	191	225	2.15	129
बीकानेर	0	28	180	208	0.76	39
बूंदी	0	146	307	453	8.16	145
चित्तौड़गढ़ +	0	595	1092	1687	15.54	159
चूरू	0	5	85	90	0.53	6
दौसा*	–	–	–	–	–	–
धौलपुर	0	82	337	419	13.81	56
डूंगरपुर +	0	44	208	252	6.68	42
श्रीगंगानगर	0	30	160	190	0.92	3
हनुमानगढ़*	–	–	–	–	–	–
जयपुर	13	114	504	631	4.49	431
जैसलमेर	0	47	120	167	0.43	34
जालौर	0	13	195	208	1.95	177
झालावाड़ा	0	83	314	397	6.38	91
झुंझुनूं	0	24	171	195	3.29	188
जोधपुर	0	3	90	93	0.41	104
करौली*	–	–	–	–	–	–
कोटा	0	154	461	615	11.30	103
नागौर	0	11	108	119	0.67	99
पाली	0	216	446	662	5.34	268
प्रतापगढ़	–	–	–	–	–	–
राजसमंद	0	131	293	424	10.98	51
सवाईमाधोपुर	0	260	1040	1300	12.35	470
सीकर	0	32	161	193	2.50	184
सिरोही +	0	300	616	916	17.83	198
टोंक	0	33	134	167	2.32	56
उदयपुर +	0	1420	1698	3118	23.24	457
योग	**72**	**4448**	**11567**	**16087**	**4.70**	**4,357**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान में पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले।

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2011

परिशिष्ट–3

राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक)

(₹ लाखों में)

योजना	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर, 2013 तक)
वानिकी सेक्टर		
नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	400.01	63.17
नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	6050.98	4672.47
जैव विविधता संरक्षण	687.18	339.90
संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	31.20	1.54
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	2596.42	1159.67
संचार एवं भवन	1800.00	42.08
कैम्पा कोष	115.00	1712.02
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	280.26	157.96
गंगनहर वृक्षारोपण	330.98	226.99
पर्यावरण वानिकी	95.51	75.39
वन्य जीव संरक्षण	562.13	422.39
कृषि वानिकी	363.01	135.77
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	110.00	17.12
गोरधन ड्रेन	0.02	314.02
पारि–पर्यटन	300.00	44.43
जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	833.26	378.13
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	41.86	9.75
साझा वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	30.00	3.40
जैविक उद्यान कायलाना	0.03	–
सामान्य निर्देश (वाहन क्रय)	–	769.40
योग	**14627.85**	**10545.60**
13वां वित्त आयोग	2208.00	371.63
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	20700.00	7500.00
योग	**20700.00**	**7500.00**
भू–संरक्षण सेक्टर		
कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	25.00	11.77
योग	**25.00**	**11.77**
बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	154.00	0.00
नदी घाटी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	165.00	0.00
लूणी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	33.00	0.00
योग	**352.00**	**0.00**
योग (भू–संरक्षण सेक्टर)	**377.00**	**11.77**
महायोग	**37912.85**	**18429.00**

परिशिष्ट–4

वार्षिक योजना 2013–14 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

(दिसम्बर, 2013 तक)

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर, 2013 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	**वानिकी सेक्टर**			
	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाख	60.00	13.00
	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	300
	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	500	714
	गंग नहर (वृक्षारोपण)	आर.के.एम.	700	744
	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	5000	5000
	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	1746	1500
	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	29504	29504

ढाक के पुष्प

परिशिष्ट–5

वार्षिक योजना 2013–14
केन्द्र प्रवर्तित योजना

(₹ लाखों में)

योजना	नवीनतम प्रावधान		दिसम्बर, 2013 तक वास्तविक व्यय	
	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
वानिकी क्षेत्र				
सांभर नम भूमि परियोजना	274.29	–	–	–
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	330.00	110.00	51.36	–
बाघ परियोजना रणथम्भौर	5450.07	100.00	316.99	74.51
बाघ परियोजना सरिस्का	5380.00	80.00	200.83	52.73
घना पक्षी विहार का विकास	100.00	–	23.02	–
अन्य अभयारण्यों का संधारण	540.00	40.00	200.30	–
राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	80.00	–	25.62	–
चिड़ियाघरों का सुधार	0.02	–	–	–
ईको टास्क फोर्स, रणथम्भौर	–	–	–	–
योग (वानिकी क्षेत्र)	**12154.38**	**330.00**	**818.12**	**127.24**
भू–संरक्षण क्षेत्र				
चम्बल, कड़ाना व दांतीवाड़ा के आवाह क्षेत्र में भू–संरक्षण	1485.00	165.00	–	–
लूनी नदी के आवाह क्षेत्र में भू–संरक्षण	297.00	33.00	–	–
बनास परियोजना के आवाह क्षेत्र में भू–संरक्षण	1386.00	154.00	–	–
कुल (भू–संरक्षण क्षेत्र)	**3168.00**	**352.00**	**0.00**	**0.00**
महायोग	**15322.38**	**682.00**	**818.12**	**127.24**

परिशिष्ट-6

नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं कन्जर्वेशन रिजर्व की सूची

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
अ.	**राष्ट्रीय उद्यान**			
1.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	282.03	एफ11(26)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 1.11.80
2.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ3(5)(9)/8/72/दिनांक 27.08.81
3.	मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान	कोटा, चित्तौड़गढ़	199.55*	एफ11(56) वन/2001/पार्ट दिनांक 09.01.12
	योग एन.पी.		**510.31**	
ब.	**अभयारण्य**			
1.	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	492.29	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
1.(अ)	**सरिस्का 'अ'**	अलवर	3.0122	प.1(24) वन/08/दिनांक 20.06.2012
2.	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	83.44	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
3.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
4.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
5.	आबू पर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.10	प.11(40) वन/97/दिनांक 15.4.08
6.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.528	एफ10(26)रेवेन्यू/ए/71/दिनांक 13.7.71
7.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ379/रेवेन्यू/8/59/दिनांक 4.10.62
8.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ11(9)रेवेन्यू/8/78/दिनांक 2.1.79
9.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, सवाई-माधोपुर, करौली, धौलपुर	274.75	एफ11(12)/रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 7.12.79
10.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40	एफ11(39)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 22.9.80

* The area of Mukandra Hills National Park comprises of 156.32 sq. km. of Darrah wild life sanctuary, 37.98 sq. km. of Jawahar Sagar wild life sanctuary and 5.25 sq. km. of National Chambal sanctuary.

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
11.	जमवारामगढ़ अभयारण्य	जयपुर	300.00	एफ11(12)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 31.5.82
12.	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़	182.11	एफ11(5) 13/रेवेन्यू/8/73/ दिनांक 9.10.75
13.	राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00	एफ3(1)73/रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 4.8.80
14.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00	एफ11(1) रेवेन्यू/8/79/दिनांक 20.5.82
15.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40	एफ11(44)रेवेन्यू/8/81/दिनांक 5.2.83
16.	कैलादेवी अभयारण्य	करौली , सवाईमाधोपुर	676.82	एफ11(28)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 19.7.83
17.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ11(35)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 30.07.83
18.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	475.235	एफ11(56)रेवेन्यू/8/82/दिनांक 28.9.83
19.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11(1) रेवेन्यू/8/83/दिनांक 6.10.83
20.	सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07	एफ11(28)रेवेन्यू/8/84/दिनांक 30.11.84
21.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ11(1) एनवायरमेंट/दिनांक 7.10.85
22.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ11(64)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 17.2.87
23.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ11(41)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 29.8.88
24.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40	एफ39(2) एफओआर/55/दिनांक 7.11.55
25.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ39(26) एफओआर/55/ दिनांक 7.11.55
	Total WLS		**8753.5852**	
	Grand Total NP/WLS		**9263.8952**	

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक	वि.वि.
स.	**कन्जर्वेशन रिजर्व**				
1.	बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3(19) वन/2006/ दिनांक 13.10.08	जरख भेड़िया, जंगली सुअर, मोर, गिद्ध
2.	जोडबीड़ गाढवाला बीकानेर कन्जर्वेशन रिजर्व	बीकानेर	56.4662	प.3(22) वन/2008/ दिनांक 25.11.08	चिंकारा, रोजड़ा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार, गिद्ध की 7 प्रजातियां
3.	सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.4892	प.3 (22) वन/2008/ दिनांक 25.11.08	बघेरा, जरख भालू, लोमड़ी, जंगली मुर्गा
4.	गुढा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व	जोधपुर	2.3137*	प.3 (2) वन/2011/ दिनांक 15.12.11	Black Buck, Chinkara
5.	शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व	सीकर, झुन्झुनूं	131.00	प.3 (16) वन/2009/ दिनांक 09.02.12	
6.	गोगेलाव कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	3.58	प.3 (17) वन/2011/ दिनांक 09.03.12	Chinkara, Jackal, Wild Cat, Wold
7.	बीड़ झुन्झुनूं कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	10.4748	प.3 (47) वन/2008/ दिनांक 09.03.12	Jackal, Indian Hare, Rat Snke, Indian Cobra, Indian Peafowl
8.	रोटू कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	0.7286	प.3 (8) वन/2011/ दिनांक 29.05.12	Black Buck, Chinkara
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व	कोटा	2.7247	प.3 (1) वन/2012/ दिनांक 05.11.12	Saras Crane, Wooly Necked Storks Pintails, Shovellers, Mallards, Spot Billed Ducks
10.	जवांई बांध, कंजर्वेशन रिजर्व	पाली	19.7858	एफ.3(4)वन/2012 दिनांक 27.02.2013	मगरमच्छ तथा समीपस्थ क्षेत्र में लेपर्ड
	Total CR		**392.8730**		
	G. Total NP/WLS/CR		**9656.7682**		

वन विभाग का

माननीय वन

अति. मुख्य

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

प्रमुवसं एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर

- **अप्रमुवसं, ईको ट्यूरिज्म, जयपुर**
  वसं ईको ट्यूरिज्म
- **अति. प्रमुवसं वन्य जीव, जयपुर**
  प्रावैधिक सहायक
  उवसं (आयोजना) वजी, जयपुर
  - **मुवसं वजी, जयपुर**
    प्रावैधिक सहायक
    उवसं. (प्रशासन)
    - वसं, वन्य जीव, जयपुर
    - उवसं, वन्य जीव, जयपुर
    - उवसं चिड़ियाघर, जयपुर
    - वसं एवं क्षे.नि. सरिस्का, अलवर
    - उवसं एवं उ.क्षे.नि.
    - बाघ परियोजना सरिस्का
    - सवसं उ.द.
  - **मुवसं वजी, जोधपुर**
    उवसं (प्रशासन)
    - उवसं वजी, जोधपुर
    - उवसं वजी, जैसलमेर
    - उवसं वजी, आबू पर्वत
    - उवसं वजी, बीकानेर
    - सवसं उ.द.
  - **मुवसं वन्य जीव, कोटा**
    - प्रावैधिक सहायक
    - उवसं वजी, कोटा
    - उवसं वजी, मुकुन्दरा ने.पा., कोटा
    - उवसं वजी राचअ, स.मा.
    - सवसं उ.द.
  - **मुवसं वन्य जीव, भरतपुर**
    - वसं एवं क्षेनि. बाघ, रणथम्भौर
    - प्रावैधिक सहायक
    - उवसं एवं उक्षेनि–I आरटीपी, स.मा.
    - उवसं एवं उक्षेनि–II आरटीपी, करौली
    - उवसं वजी, भरतपुर
    - उवसं विलेज रिलोकेशन, स.मा.
    - उवसं विलेज रिलोकेशन, करौली
  - **मुवसं वन्य जीव, उदयपुर**
    उवसं (प्रशासन)
    - उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
    - उवसं वजी, उदयपुर
    - उवसं वजी, राजसमंद
    - सवसं उ.द.

अति प्रमुवसं परि.सूत्री. एवं कॉर्डिनेशन
प्रावैधिक सहायक
उवसं कोर्डिनेशन

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)

- **मुवसं संस्थापन**
  उवसं (संस्थापन) राज.
- **मुवस एवं प्रा.स., प्रमुवसं**
  उवसं (अराजपत्रित)
  वसं एवं प्रा.स.

अप्रमुवस श्रम एवं विधि
प्रावैधिक सहायक

- उवसं श्रम एवं विधि
- उवसं लिटिगेशन
- संयुक्त विधि परामर्शी
- वरि. विधि सहायक

अप्रमुवस (मुख्यालय)
प्रावैधिक सहायक

- **मुवसं (मु.) जयपुर**
  - उवस जांच
  - उवसं विधानसभा
  - उवसं आरटीआई
  - उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं
  - उवसं सतर्कता

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.
उवसं (प्रशासन)

- **अप्रमुवसं (उत्पा.)**
  प्रावैधिक सहायक
  उवसं (प्रशासन)
  - **मुवसं विका, जयपुर**
    प्रावैधिक सहायक
    - उवसं विकामं, बीकानेर
    - उवसं विकामं, उदयपुर
    - उवसं विकामं, सूरतगढ़
    - उवसं विकामं, जयपुर
    - उवसं स्टेज–II, बीकानेर
- **अप्रमुवसं सूचना प्रौद्योगिकी**
  प्रावैधिक सहायक
  उवसं सू. प्रौ.
  सवसं सूचना प्रौद्योगिकी
- **अप्रमुवसं, एनटीएफपी, जयपुर**
  - उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
  - वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
  - उवसं मेडि. प्ला., जयपुर
- **अप्रमुवसं का.आ. जयपुर**
  उवसं कार्य आयोजना

संभागीय मुवसं, उदयपुर
वसं, एम एण्ड ई, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)

- उवसं, उदयपुर
- उवसं, उदयपुर (उत्तर)
- उवसं, डूंगरपुर
- उवसं, बांसवाड़ा
- उवसं, राजसमंद
- उवसं, चित्तौड़गढ़
- उवसं, प्रतापगढ़
- काआअ, उदयपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
- सवसं उ.द., उदयपुर
- वबअ, उदयपुर

संभागीय मुवसं, जयपुर
वसं, एम एण्ड ई, जयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)

- उवसं, जयपुर
- उवसं, जयपुर (उत्तर)
- उवसं, अलवर
- उवसं, सीकर
- उवसं, झुंझुनूं
- उवसं, दौसा
- काआअ, जयपुर
- वबअ, जयपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
- सवसं उ.द., जयपुर

परिशिष्ट–7

संगठनात्मक ढांचा

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
टी.आर.ई.ई., राज.

उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (भू.सं.)
प्रावैधिक सहायक
उवसं (प्रशासन)

मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर
प्रावैधिक सहायक
भूसंअ, सोजत
भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक

मुवसं आरवीपी, कोटा
प्रावैधिक सहायक
उवसं, बेगूं
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, आबू रोड

अप्रमुवसं (एफसीए)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (एफसीए)
उवसं (एफसीए)

अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (वन सुरक्षा)
उवसं (वन सुरक्षा)

अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई)
प्रावैधिक सहायक

मुवसं पी.एफ.ई. वसं सी ई, जयपुर

परि. निदे. आरएफबीपी
अ. परि. निदे. विकास
अ. परि. निदे. प्रशासन
संयुक्त परि. निदेशक
उप निदे. प्रशासन
उप निदे. विकास

वित्तीय सलाहकार
लेखाधिकारी
सहा. लेखाधिकारी–3

अप्रमुवसं (प्रशि.अनुसंधान)
वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं प्रशिक्षण, अलवर
उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

मुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
वसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
उवसं अनुसंधान, जयपुर
अनुसंधान अधिकारी बीज
स. उद्यान विज्ञ, जयपुर
मृदा अधिकारी, जयपुर

अति.प्रमुवसं (विकास)
प्रावैधिक सहायक

मुवसं (आयोजना), जयपुर
उवसं आयोजना, जयपुर
उवसं नाबार्ड
उवसं स.प्र.प्र.

अप्रमुवसं (ईजीएस)
वसं (जेएफएम)
उवसं ईजीएस

संभागीय मुवसं, कोटा
वसं, एम एण्ड ई, कोटा
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
- उवसं, कोटा
- उवसं, बारां
- उवसं, बूंदी
- उवसं, झालावाड़
- काआअ, कोटा
- वबअ, कोटा
- उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
- सवसं उ.द., कोटा

संभागीय मुवसं, अजमेर
वसं, एम एण्ड ई, अजमेर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
- उवसं, अजमेर
- उवसं, भीलवाड़ा
- उवसं, टोंक
- उवसं, नागौर
- काआअ, अजमेर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर
- सवसं उड़नदस्ता

संभागीय मुवसं, भरतपुर
वसं, एम एण्ड ई, भरतपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
- उवसं, करौली
- उवसं, धौलपुर
- उवसं, भरतपुर
- उवसं, सवाई माधोपुर
- काआअ, भरतपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर
- सवसं उड़नदस्ता

संभागीय मुवसं, बीकानेर
वसं, एम एण्ड ई, बीकानेर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
- उवसं, बीकानेर
- उवसं, स्टे–II, खण्ड–I, बीकानेर
- उवसं, स्टे–II, खण्ड–II, छतरगढ़
- उवसं, हनुमानगढ़
- उवसं, श्रीगंगानगर
- उवसं, चूरू
- काआअ, बीकानेर
- वबअ, बीकानेर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
- सवसं उ.द., बीकानेर

संभागीय मुवसं, जोधपुर
वसं, एम एण्ड ई, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
- उवसं, पाली
- उवसं, जालोर
- उवसं, बाड़मेर
- उवसं, जोधपुर
- उवसं, सिरोही
- उवसं, जैसलमेर
- उवसं, इगानप स्टेज–II जैसलमेर
- काआअ, जोधपुर
- वबअ, जोधपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
- उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर
- सवसं उ.द., जोधपुर

नोट : **का.आ.अ.**–कार्य आयोजना अधिकारी, **व.ब.अ.**–वन बन्दोबस्त अधिकारी, **उवसं आयो एवं प्रबो**–उवसं, आयोजना एवं प्रबोधन, **सवसं उ.द.**–सवसं, उड़न दस्ता, **सं.प्र.प्र.**–संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, **व.जी.**–वन्य जीव।

वर्ष 2012-13 की वास्तविक प्राप्तियां एवं वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत दिसम्बर, 13 तक कुल प्राप्तियां

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2012-13	संशोधित अनुमान वर्ष 2012-13	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2013-14	वर्ष 2012-13 मार्च, 2013 तक कुल आय	दिसम्बर, 2013 तक आय
मुख्य शीर्षक-0406-वानिकी तथा वन्य प्राणी लघु शीर्षक-01-वानिकी, 101 लकड़ी और वन्य उत्पाद की बिक्री						
(01)	इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	2.60	2.77	1.00	40.23	6.23
(02)	जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	1801.82	1996.00	2600.00	2020.76	1262.94
(03)	बांस से प्राप्तियां	200.00	320.00	320.00	277.40	203.60
(04)	घास तथा वन की शुद्ध उपज	79.12	125.00	80.00	112.47	64.88
(06)	तेन्दू पत्ता व्यापार योजना					
	(01) तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	1050.00	1934.00	1145.00	1918.35	902.27
	(02) अन्य विविध प्राप्तियां	12.00	20.00	20.00	12.81	7.67
(07)	काष्ठ निर्माण केन्द्र की प्राप्तियां					
	योग 101	**3145.54**	**4397.77**	**4166.00**	**4382.02**	**2447.59**
800 अन्य प्राप्तियाँ						
(01)	अर्थदण्ड और राज सत्कार	894.29	800.00	550.00	1584.41	657.91
(02)	शिकार अनुज्ञा शुल्क	0.01	0.01	0.01	–	–
(03)	व्यय गत निक्षेप	15.00	1.00	1.00	0.87	0.18
(04)	ऐसे वनों से प्राप्त राजस्व जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	0.25	0.25	0.25	4.22	2.60
(05)	अन्य विविध प्राप्तियां	570.39	650.00	460.00	1540.04	948.28
(06)	गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्तियों से प्राप्तियां	0.01	30.00	0.01	46.77	237.99
	योग-800	**1479.95**	**1481.26**	**1011.27**	**3176.31**	**1846.96**

लगातार - 101

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2012-13	संशोधित अनुमान वर्ष 2012-13	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2013-14	वर्ष 2012-13 मार्च, 2013 तक कुल आय	दिसम्बर, 2013 तक आय
	900-घटाइये वापसियां					
	योग-900					
	योग-01	**4625.49**	**5879.03**	**5177.27**	**7558.33**	**4294.55**
	(02) पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
111	प्राणी उद्यान					
(01)	चिड़ियाघर से प्राप्तियां	223.00	275.00	275.00	289.98	211.12
	योग 111	223.00	275.00	275.00	289.98	211.12
	800 अन्य प्राप्तियां					
(01)	ईको डवलपमेंट से आय	631.50	170.00	170.00	208.98	133.96
(02)	रणथम्भौर में पर्यटकों से आय	20.00	190.00	190.00	243.32	114.36
(03)	सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से आय	0.01	20.00	22.00	45.98	10.29
(04)	रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	0.01	580.00	600.00	537.05	352.62
(05)	सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	0.01	70.00	75.00	53.06	38.97
(50)	**अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां**					
(01)	अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.01	5.00	5.00	35.02	20.80
(02)	अन्य उपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.01	16.00	3.00	34.53	0.20
	योग 800	**651.55**	**1051.00**	**1065.00**	**1157.94**	**671.02**
	योग 02	**874.55**	**1326.00**	**1340.00**	**1447.92**	**882.14**
	योग 0406	**5500.04**	**7205.03**	**6517.27**	**9006.25**	**5176.69**

नोट : वन विकास कार्यों से प्राप्त लघु वन उपज निःशुल्क स्थानीय ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्तमान में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष आय मुख्यतः तेन्दू पत्ता इकाइयों की सीमित रह गई है। प्राप्त आय का विवरण उपरोक्तानुसार है।

परिशिष्ट–9

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2013–14

उपलब्धि माह दिसम्बर, 2013 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टेयर)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टेयर)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	1000	1180	6.50	8.150
2.	अलवर	1900	2154	12.35	20.780
3.	बांसवाड़ा	2400	2940	15.60	17.242
4.	बारां	2800	2905	18.20	15.930
5.	बाड़मेर	900	1414	5.85	8.120
6.	भरतपुर	1100	1286	7.15	7.210
7.	भीलवाड़ा	1100	1210	7.15	10.320
8.	बीकानेर	2600	2829	16.90	15.611
9.	बूंदी	2200	2403	14.30	15.630
10.	चित्तौड़गढ़	2700	2936	17.55	16.630
11.	चूरू	400	465	2.60	2.340
12.	दौसा	1900	2000	12.35	13.500
13.	धौलपुर	1900	2192	12.35	18.350
14.	डूंगरपुर	1900	2228	12.35	16.499
15.	श्रीगंगानगर	800	1215	5.20	7.784
16.	हनुमानगढ़	400	575	2.60	3.692
17.	जयपुर	2500	2760	16.25	17.525
18.	जैसलमेर	3700	3932	24.05	23.002
19.	जालौर	500	665	3.25	3.589
20.	झालावाड़	1700	2322	11.05	15.110
21.	झुंझुनूं	700	852	4.55	4.735
22.	जोधपुर	600	691	3.90	4.080
23.	करौली	1100	1236	7.15	7.409
24.	कोटा	1600	1750	10.40	12.699
25.	नागौर	700	855	4.55	5.061
26.	पाली	1200	1615	7.80	6.170
27.	प्रतापगढ़	3700	4865	24.05	36.108
28.	राजसमंद	700	929	4.55	5.490
29.	सवाईमाधोपुर	900	1120	5.85	7.530
30.	सीकर	600	721	3.90	4.810
31.	सिरोही	1200	1388	7.80	38.311
32.	टोंक	1000	1200	6.50	7.800
33.	उदयपुर	8600	9942	55.40	66.017
	योग	**57,000**	**66,775**	**370.00**	**464.264**

बेवड़ा तलाई दरा अभयारण्य, कोटा

विश्राम गृह, तालछापर अभयारण्य, चूरू